रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 484] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 21, 2017/अग्रहायण 30, 1939
No. 484] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 21, 2017/AGRAHAYANA 30, 1939

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2017

फा. सं. पी.एस.बी/स्टाफ/औ.एस.आर/2017.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 19 और 12 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब एण्ड सिंध बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1982 में आगे संशोधन हेतु एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों को **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 कहा जाएगा ।

(2) इन विनियमों में जहाँ कहीं भी वर्णन दिया गया है उसको छोड़कर, ये विनियम 1 नवंबर, 2007 से प्रभावी माने जाएंगे ।

2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 (इसके बाद उक्त विनियम के रूप में संदर्भित होगा) के विनियम 3 में –

(i) खंड (च), के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात् :–

(**च**) "परिवार" का अर्थ अधिकारी की पत्नी/पति, पूर्णतया आश्रित अविवाहित बच्चे (जिसमें आश्रित सौतेला तथा कानूनन गोद लिए गए बच्चे शामिल हैं), चालीस प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता के साथ शारीरिक रूप से विकलांग भाई या बहन और माता-पिता जो सामान्यतया अधिकारी के साथ रहते हैं और उन पर पूर्णतया आश्रित हैं।'

स्पष्टीकरण:- इस खण्ड का प्रयोजन अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित बच्चे या माता-पिता या शारीरिक रूप से विकलांग भाई या बहन का अर्थ उन बच्चों या माता-पिता, भाई या बहन से है जिनकी आय प्रतिमाह ₹3,500/- से अधिक नहीं है।

किंतु, यदि माता-पिता में से किसी एक की आय ₹3,500/- प्रतिमाह से अधिक है या माता-पिता दोनों की समग्र आय ₹3,500/- प्रतिमाह से अधिक है, तो माता-पिता दोनों को अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित नहीं माना जाएगा ।

(ii) खंड (ण) को हटा दिया जाएगा

3. उक्त विनियमों के विनियम 4 में,

(i) उप विनियम (4ए) को हटा दिया जाएगा;

(ii) उप विनियम (4ए) को हटाने के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात् –

(5) नीचे दिए गए प्रत्येक श्रेणी के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान 01 नवंबर, 2007 से लागू होंगे:

(क) उच्च कार्यपालक श्रेणी

वेतनमान VII = ₹ 46800 – 1300/4 – 52000

वेतनमान VI = ₹ 42000 – 1200/4 – 46800

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान V = ₹ 36200 – 1000/2 – 38200 – 1100/2 – 40400

वेतनमान IV = ₹ 30600 – 900/4 – 34200 – 1000/2 – 36200

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान III = ₹ 25700 – 800/5 – 29700 – 900/2 – 31500

वेतनमान II = ₹ 19400 – 700/1 – 20100 – 800/10 – 28100

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान I = ₹ 14500 – 600/7 – 18700 – 700/2 – 20100 – 800/7 – 25700

स्पष्टीकरण- 31.10.2007 को लागू वेतनमानों द्वारा शासित होने वाले प्रत्येक अधिकारी का नियमन 01 नवंबर, 2007 को इस उप विनियम में निर्धारित वेतनमान में प्रक्रम-दर-प्रक्रम आधार पर किया जाएगा, अर्थात् पहले प्रक्रम से तदनुरूपी प्रक्रमों पर और वेतनवृद्धियाँ, अन्यथा उप बंधित को छोड़कर, सामान्यतया अधिवर्षिता तारीख को होंगी ।

(6) उप-विनियम (1), (2), (3), (4) और (5) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित है ।

4. उक्त विनियमों के विनियम 5 में,

(क) उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात् –

(1) विनियम 4 के उप-विनियम (5) के उपबंधों के अधीन, 01 नवंबर, 2007 को और उस तारीख से, वेतनवृद्धियां निम्नानुसार मंजूर की जाएंगी, अर्थात् –

(क) विनियम 4 के उप-विनियम (5) में उपवर्णित वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होंगी और वे जिस महीने में देय होती हैं उस महीने की पहली तारीख को दी जाएंगी ;

(ख) जो अधिकारी कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I में उच्च स्तर तक पहुँचने के बाद मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II के लिए वेतनमान की श्रेणी के लिए पहुँच गए हैं वे प्रत्येक तीन पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए चार गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहले दो प्रत्येक ₹800/- और अगले दो प्रत्येक ₹900/- होंगे :

परंतु, जो अधिकारी 01 नवंबर, 2007 को दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के बाद तीन साल या उससे अधिक का समय पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें 01 नवंबर, 2007 को तीसरी गतिरोध वेतनवृद्धि दी जाएगी और अन्य कोई गतिरोध वेतनवृद्धि 01 नवंबर, 2008 को या उसके बाद दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के पश्चात् उनके छः वर्ष पूर्ण होने पर प्रदान की जाएगी ;

(ग) जो अधिकारी मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II में उच्च स्तर तक पहुँचने के बाद मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III के लिए वेतनमान की श्रेणी के लिए पहुँच गए हैं वे प्रत्येक तीन पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए ₹900 की तीन गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे :

परंतु, जो अधिकारी 01 नवंबर, 2007 को पहली गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के बाद तीन साल या उससे अधिक का समय पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें अगली गतिरोध वेतनवृद्धि 01 नवंबर, 2007 से प्रभावी होने के साथ दी जाएगी और 01 नवंबर, 2008 को या इसके बाद आगामी गतिरोध वेतनवृद्धि पहली गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के बाद उनके छ: वर्ष पूर्ण होने पर प्रदान की जाएगी :

परंतु यह भी कि मूल मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में नियुक्त या पदोन्नत अधिकारी प्रत्येक तीन पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए ₹900 की चार गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे :

परंतु, जो अधिकारी 01 नवंबर, 2007 को दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के बाद पहले से ही दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति तथा सेवा के तीन साल या उससे अधिक का समय पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें तीसरी गतिरोध वेतनवृद्धि 01 नवंबर, 2007 को प्रदान की जाएगी और 01 नवंबर, 2008 को या इसके बाद चौथी गतिरोध वेतनवृद्धि दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के बाद उनके छ: वर्ष पूर्ण होने पर प्रदान की जाएगी।

स्पष्टीकरण- इस उप-विनियम के तहत अगले उच्चतर वेतनमान में की गई ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जाएगा और अधिकारियों के विशेषाधिकार, परिलब्धियां, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व उनके मूल पदों के रूप में जारी रहेंगी ।

(ख) उप-विनियम (2) में, –

(i) स्पष्टीकरण में, खंड (ङ) के बाद और टिप्पणी से पहले, निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

"(च) 01 नवंबर, 2007 को तथा उसके बाद से, अन्य बातों के समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता वेतन की मात्रा निम्नानुसार संशोधित होंगी :-

तालिका

जिन्होंने जेए.आई.आई.बी अथवा सीएआईआईबी उत्तीर्ण कर लिया है।	(i) अधिकतम स्केल तक पहुंचने के एक साल बाद प्रति माह ₹410/-
जिन्होंने सीए.आई.आई.बी के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं।	(i) अधिकतम स्केल पर पहुंचने के एक साल बाद प्रति माह ₹410/- (ii) अधिकतम स्केल पर पहुंचने के दो साल बाद प्रति माह ₹1030/-

परंतु, यदि किसी अधिकारी ने वेतन के अधिकतम स्केल तक पहुंचने के बाद, जेए.आई.आई.बी अथवा सीए.आई.आई.बी (या तो कोई एक या दोनों भाग) योग्यता प्राप्त कर ली है तो उसे इस तरह की योग्यता प्राप्त करने की तारीख से व्यावसायिक अर्हता वेतन की पहली किश्त दी जाएगी और व्यावसायिक अर्हता वेतन के बाद जारी किश्त व्यावसायिक अर्हता वेतन की पहली किश्त के जारी होने की तारीख के संदर्भ में होगी ।

परंतु यह भी कि ऐसे मामलों में जहाँ किसी अधिकारी ने उपरोक्त योग्यता में से कोई एक पहले ही प्राप्त कर ली है और इस तरह की योग्यता प्राप्त करने के कारण कोई वेतनवृद्धि या व्यावसायिक अर्हता वेतन नहीं लिया है, तो उसे 01 नवंबर 2007 से प्रभावी या ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तारीख जो भी बाद में है, से व्यावसायिक अर्हता वेतन प्रदान किया जा सकता है।"

(ii) टिप्पणी में, खंड (v) के लिए, निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(v) यदि किसी अधिकारी ने, 27 अप्रैल, 2010 को उक्त योग्यता में से कोई एक, जैसा कि खंड (iv) में विनिर्दिष्ट है, पहले ही प्राप्त कर ली है और इस तरह की योग्यता प्राप्त करने के कारण कोई वेतनवृद्धि या व्यावसायिक अर्हता वेतन नहीं लिया है, तो उसे 01 नवंबर, 2007 से प्रभावी या ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तारीख जो भी बाद में है, से व्यावसायिक अर्हता वेतन प्रदान किया जाएगा।"

(ग) उप-विनियम (3) में, –

(i) खंड (घ) के बाद और टिप्पणी से पहले, निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

"(ङ) 01 नवंबर, 2007 को तथा उसके बाद से, अन्य बातों के समान होने पर, आवास किराया भत्ते के साथ–साथ नियत वैयक्तिक वेतन निम्न दरों पर होंगे और सेवा की संपूर्ण अवधि के लिए अवरुद्ध रहेंगे :-

IndiaCode

तालिका

वेतनवृद्धि घटक (₹)	**वेतन वृद्धि घटकों पर 01.11.2007 को मंहगाई भत्ते (₹)**	**कुल नियत वैयक्तिगत वेतन देय जहाँ बैंक का आवास प्रदान किया गया है (₹)**
(क)	**(ख)**	**(ग)**
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394"

(ii) टिप्पणी में, खंड (i) और (ii) के लिए, निम्नलिखित खंडों को दर्ज किया जाएगा, अर्थात् :–

"(i) नियत वैयक्तिक भत्ते अथवा नियत वैयक्तिक वेतन जैसा कि खंड (ख), (ग), (घ) या (ङ) के तहत तालिका के स्तंभ (ग) के रूप में निर्दिष्ट है, उन अधिकारियों को देय होगा जिन्हें बैंक के साथ आवास उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ii) आवास किराए भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों के लिए नियत वैयक्तिक भत्ते अथवा नियत वैयक्तिक वेतन खंड (ङ) के तहत तालिका के स्तंभ (क) और (ख) के तहत निर्दिष्ट कुल राशि होगी और संबंधित अधिकारी कर्मचारियों द्वारा लिए गए आवास किराए भत्ते जहाँ विनियम 4 के उप-विनियमों (2), (3), (4) या (5) में विनिर्दिष्ट वेतन के संबंधित स्केल की अंतिम वृद्धि अर्जित की जाती है।"

(iii) टिप्पणी के बाद आने वाले खंड (ङ) को उप-खंड (v) के रूप में नामित किया जाएगा और खंड (v) के लिए जैसा कि अंकित किया गया है, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(v) जिस अधिकारी को उपर्युक्त खंड (क) के अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि मिल चुकी है उसे ऊपर खंड (ख), (ग), (घ) या (ङ) में उल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ते/नियत वैयक्तिक वेतन की प्रमात्रा, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात प्राप्त होगी।"

5. उक्त विनियमों के विनियम 21 में,

(i) उप-विनियम (3) में, टिप्पणी को हटा दिया जाएगा;

(ii) उप-विनियम (4) में, टिप्पणी को हटा दिया जाएगा;

(iii) उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमों और टिप्पणियों को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"(5) 01 नवंबर 2007 को या उसके बाद से, अखिल भारतीय औसत कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार पर 1960=100 के तिमाही औसत में 2838 अंकों से अधिक प्रति 4 अंकों के उतार या चढ़ाव के लिए महंगाई भत्ता वेतन का 0.15% देय होगा।"

स्पष्टीकरण- इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए,

(क) महंगाई भत्ते के प्रयोजन हेतु "वेतन" का अर्थ अवरोध वेतनवृद्धि सहित मूल वेतन होगा ।

(ख) विनियम 5 के उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण (ग), (घ), (ङ) और (च) में निर्दिष्टानुसार, व्यावसायिक अर्हता भत्ते या व्यावसायिक अर्हता वेतन को महंगाई भत्ते के लिए गिना जाएगा ।

6. उक्त विनियमों के विनियम 22 में, उप-विनियम (1) और (2) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1) 01 नवंबर 2002 को या उसके बाद से,

(क) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो उससे वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 1.75% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा;

(ख) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा, अर्थात् :

तालिका

जहाँ कार्यस्थल है		**मकान किराया भत्ता देय होगा**
(1)		(2)
(i)	वर्ग ए में प्रमुख "ए" श्रेणी के शहरों और परियोजना क्षेत्र केन्द्रों में	वेतन का 8.5%
(ii)	वर्ग बी में क्षेत्र I और परियोजना क्षेत्र केन्द्रों में अन्य स्थानों में	वेतन का 7.5%
(iii)	अन्य स्थानों में	वेतन का 6.5%

परंतु यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 1.75% से अधिक, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया ऊपर स्तंभ (2) के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150% देय होगा ।

(2) 01 नवंबर 2007 को या उसके बाद से,

(क) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो उससे वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 1.20% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा;

(ख) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा, अर्थात्:-

तालिका

जहाँ कार्यस्थल है		**मकान किराया भत्ता देय होगा**
(1)		(2)
(iv)	वर्ग ए में प्रमुख "ए" श्रेणी के शहरों और परियोजना क्षेत्र केन्द्रों में	वेतन का 8.5%
(v)	वर्ग बी में क्षेत्र I और परियोजना क्षेत्र केन्द्रों में अन्य स्थानों में	वेतन का 7.5%
(vi)	अन्य स्थानों में	वेतन का 6.5%

परंतु यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 1.75% से अधिक, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया ऊपर स्तंभ (2) में उल्लिखित पूर्वोक्त दरों के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150% देय होगा ।

टिप्पणी:- अपने स्वामित्व आवास की लागत से जुड़े हुए मकान किराए भत्ते हेतु अधिकारियों के दावे अब मकान किराए भत्ते के 150% तक ही सीमित होंगे।"

7. उक्त विनियमों के विनियम 23 में,

(i) उप-विनियम (1) में, आंकड़ों, पत्रों और शब्दों के लिए "01 नवंबर, 2002" को "01 नवंबर, 2007" के आंकड़ों, पत्रों और शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) उप-विनियम (2) में, आंकड़ों, पत्रों और शब्दों के लिए "01 नवंबर, 2002" को "01 नवंबर, 2007" के आंकड़ों, पत्रों और शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) उप-विनियम (3), (4) और (5) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे :-

IndiaCode

"(3) 01 नवंबर, 2007 को और उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी ग्रुप ए या ग्रुप बी की किसी परियोजना क्षेत्र में सेवारत है तो, वह निर्धारित ग्रुप ए या ग्रुप बी में क्रमशः ₹290 प्रतिमाह या ₹255 प्रतिमाह की दर से परियोजना क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ते के लिए पात्र होगा।

(4) 01 नवंबर, 2007 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण किसी शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जाता है और यदि पूर्ववर्ती स्थान पर उसके एक या अधिक बच्चे स्कूल अथवा कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो उसे दूसरे स्थान पर कार्यग्रहण करने की तिथि से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक सभी बच्चों के लिए ₹700/- प्रति माह का मध्य शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता देय होगा, परंतु पूर्ववर्ती स्थान में सभी बच्चों द्वारा अध्ययन समाप्त करने पर उस भत्ते का भुगतान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।

(5) 1 मई, 2010 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्ति के पद पर देय उन सभी परिलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अपना विकल्प दे सकता है, विकल्पतः वह अपने वेतन के अतिरिक्त वेतन का 7.75% अधिकतम ₹2300/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है जो उसे उसी स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने की स्थिति में मिलते हैं।

परंतु, यदि उसे उसकी प्रतिनियुक्ति से पूर्व उसकी तैनाती के स्थान पर ही स्थित किसी संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे उसके वेतन का 4% अधिकतम ₹1200/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा।

परंतु यह भी कि जिस अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में, प्रतिनियुक्त किया जाता है, उसे उसके वेतन का 4% अधिकतम ₹1200/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा।"

(iv) उप-विनियम (8) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(8) 01 नवंबर, 2007 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी का एक दिन का कार्य-समय दो घंटों के न्यूनतम अंतराल के साथ विभाजित होता है तो वह ₹165/- प्रति माह की दर से विभाजित ड्यूटी भत्ते के लिए पात्र होगा।"

(v) उप-विनियम (10) में,

(क) आंकड़ों, पत्रों और शब्दों के लिए, "01 नवंबर, 2002" को "01 नवंबर, 2007" के आंकड़ों, पत्रों और शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) तालिका के लिए, निम्नलिखित तालिका को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

तालिका

स्थान	दर
(1)	(2)
(i) 1000 मीटर और उससे अधिक किंतु 1500 मीटर से कम ऊँचाई वाले स्थान और मरकारा टाउन	वेतन का 2% अधिकतम ₹550/- प्रतिमाह
(ii) 1500 मीटर और उससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का $2^1/_2$% अधिकतम ₹680/- प्रतिमाह
(iii) 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 5% अधिकतम ₹1570/- प्रतिमाह

8. उक्त विनियमों के विनियम 24 में, खंड (क) के लिए उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(क) चिकित्सा सहायता - 01 नवंबर, 2007 को और उसके बाद से निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित श्रेणी में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी अपने एवं अपने परिवार के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट राशि का पात्र होगा। यह प्रतिपूर्ति अधिकारी द्वारा दिए गए स्वयं के प्रमाण-पत्र में उल्लेखित व्यय विवरण के अनुरूप की जाएगी, अर्थात् :-

तालिका

श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन श्रेणी	₹5100/- या वास्तविक व्यय, इनमें जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन और उच्च कार्यपालक श्रेणी	₹6320/- या वास्तविक व्यय, इनमें जो भी कम हो

टिप्पणी: (i) अधिकारी को अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता संचित करने की अनुमति दी जा सकती है जो किसी भी समय दी जाने वाली उपर्युक्त अधिकतम राशि की तीन गुने से अधिक न हो, या

(ii) वर्ष 2007 के लिए, चिकित्सा सहायता के अधीन चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति दो महीनों अर्थात् नवंबर, 2007 और दिसंबर, 2007 के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएंगी ।

स्पष्टीकरण - इस विनियम के उद्देश्य के लिए,

(i) जिन स्थितियों में अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो उन सभी मामलों में अधिकारी के लिए 100% और उसके परिवार के सदस्यों के लिए 75% तक चिकित्सालयवास के व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी, या

(ii) 01 मई 2010 को या उसके बाद से, इस विनियम के अंतर्गत किसी अधिकारी के चिकित्सालयवास व्ययों की प्रतिपूर्ति कामगार कर्मचारियों के लिए द्विपक्षीय समझौता दिनांक 27 अप्रैल, 2010 के अंतर्गत दिए गए चिकित्सालयवास योजना के नियम एवं शर्तों के अनुसार होगा, बशर्ते वे नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित सीमा के अधीन हो, अर्थात् :-

तालिका

(क) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I और मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II एवं III	(i) बिस्तर शुल्क स्वयं – ₹700/- प्रति दिन परिवार – ₹525/- प्रति दिन (ii) अन्य प्रभार कामगार कर्मचारियों को लागू चिकित्सालयवास योजना के अंतर्गत दी गई सीमा का 125% के मान पर
(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV एवं V और उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VI एवं VII	(i) बिस्तर शुल्क स्वयं – ₹900/- प्रति दिन परिवार – ₹675/- प्रति दिन (ii) अन्य प्रभार कामगार कर्मचारियों को लागू चिकित्सालयवास योजना के अंतर्गत दी गई सीमा का 150% के मान पर ।"

9. उक्त विनियमों के विनियम 25 में, उप-विनियम (2) के लिए, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2) उप-विनियमन (1) में किसी बात के बावजूद, यदि बैंक चाहे तो वह अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी 01 नवंबर, 2007 को और उसके बाद से, अपने वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 1.20% के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराये का, इनमें जो भी कम हो, भुगतान करेगा :

परंतु जहाँ ऐसे आवास पर फर्नीचर उपलब्ध कराया जाता है, वहाँ बैंक द्वारा अधिकारी से उसके वेतनमान, जिसमें वह रखा गया है, के प्रथम प्रक्रम के 0.25% के बराबर अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी :

परंतु यह भी कि जहाँ बैंक द्वारा ऐसी आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है वहाँ बिजली, पानी, गैस और सफाई प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे ।"

10. उक्त विनियमों के विनियम 36 में, उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) 01 मई, 2010 से प्रभावी होने पर , 12 महीनों की समग्र अवधि के भीतर, अधिकतम 45 दिनों तक गर्भाशयोच्छेदन के मामले में छुट्टी भी दी जा सकती है ।"

11. उक्त विनियमों के विनियम 41 में, खंड (क) के लिए उप-विनियम (4) में, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(क) विराम भत्ता – 01 मई, 2010 को और उसके बाद से, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में निर्धारित श्रेणी या वेतनमान में एक अधिकारी, प्रतिदिन स्तंभ (2) में निर्धारित की गई दरों पर 'विराम भत्ता' पाने का हकदार होगा, अर्थात् :-

तालिका

अधिकारियों की श्रेणी/ वेतनमान	**प्रमुख 'ए' वर्ग के नगर**	**क्षेत्र-I**	**अन्य स्थान**
(1)	**(2)**		
	₹	₹	₹
वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी	1000	800	700
वेतनमान I/ II/ III के अधिकारी	800	700	600

परंतु, वेतनमान IV और उनसे उच्च अधिकारियों के मामले में, चार महानगरों यानि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई में बाहरी कार्य के दौरान प्रतिदिन ₹1200/- और वेतनमान I या II या III के अधिकारियों के लिए प्रतिदिन ₹1000/- की दर से विराम भत्ता देय होगा :

परंतु यह भी कि, यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटे से कम, किंतु 4 घंटे से अधिक है तो, ऊपर बताई गई दरों की आधी दर से विराम भत्ता देय होगा ।

स्पष्टीकरण – विराम भत्ता की संगणना के लिए 'प्रतिदिन' का अभिप्राय है 24 घंटे की अवधि या उसके बाद का कोई भी भाग, जिसकी गणना विमान यात्रा के मामले में रिपोर्ट करने के समय तथा अन्य मामलों में प्रस्थान के लिए नियत समय से लेकर पहुंचने के वास्तविक समय तक की जाएगी । यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है तो ' प्रतिदिन ' का अभिप्राय होगा, ऐसी अवधि जो 8 घंटे से कम नहीं है।'

12. उक्त विनियमों के विनियम 42 में, उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमों को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"(4) 01 मई, 2010 को या उसके बाद से, स्थानांतरण पर जाने वाला कोई अधिकारी पैकिंग,स्थानीय परिवहन, यात्री सामान का बीमा आदि से जुड़े व्यय के लिए नीचे दी गई तालिका के अनुसार एकमुश्त राशि आहरित करने के लिए पात्र होगा, अर्थात् :-

तालिका

श्रेणी	**एकमुश्त राशि**
उच्च कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन	₹12000
मध्य प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन	₹9000"

13. उक्त विनियमों के विनियम 44 में, उप-विनियम (3) में, निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएंगे, अर्थात् :-

"परंतु, 01 मई, 2010 से प्रभावी, कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I में एक अधिकारी, जो छुट्टी यात्रा रियायती का लाभ उठा रहा है, सबसे कम किराया अर्थव्यवस्था वर्ग में हवाई यात्रा करने का हकदार होगा, उस स्थिति में वास्तविक किराया या यात्रा की दूरी के लिए ट्रेन द्वारा एसी प्रथम श्रेणी के लिए लागू किराया, जो भी कम है, की प्रतिपूर्ति की जाएगी और समान नियम मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II व III के अधिकारी के लिए भी लागू होंगे, जो छुट्टी यात्रा रियायती का लाभ उठा रहा है, जहाँ यात्रा की दूरी 1000 किमी. से कम है ।"

IndiaCode

14. उक्त विनियमों के विनियम 45 में,

(i) उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएंगे, अर्थात् :-

"परंतु यह कि 01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंकों की सेवाओं में शामिल होने वाले अधिकारियों के लिए कोई प्रोविडेंट फंड नहीं होगा ।"

(ii) उप-विनियम (3) में, खंड (ख) के बाद और टिप्पणी के पहले, निम्नलिखित खंड को शामिल किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत कवर किए गए अधिकारियों, जो पेंशन योजना के लिए विकल्प नहीं देते हैं, अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत जारी रहेंगे ।"

(iii) उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम को शामिल किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4)01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवाओं में शामिल होने वाले अधिकारियों को एक निश्चित अंशदायी पेंशन योजना के तहत कवर किया जाएगा, जहाँ अधिकारी 10% वेतन और महंगाई भत्ते का योगदान देगा तथा बैंक, भारत सरकार की अधिसूचना फा.सं.5/7/2003-ईसीबी एवं पीआर दिनांक 22 दिसंबर, 2003 जैसा कि समय-समय पर संशोधित है, के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नई पेंशन योजना (एनपीएस) में, अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अनुसार समान राशि का योगदन देगा ।

15. उक्त विनियमों की अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(अधिकारी) सेवा विनियम 1982 की अनुसूची

(विनियम 23 का उप-विनियम (2) देखें)

01 नवंबर, 2007 से एक अधिकारी, विशेष क्षेत्रीय भत्ता जो उसे वापस लेने तक या पूर्ण या पाक्षिक रूप से संशोधन करने के समय तक, के लिए पात्र होगा जो तालिका में निम्नवत् दर्शाया गया है, जैसे :-

तालिका

क्रम संख्या	**ऐसा स्थान जहाँ भत्ता देय होगा**	**देय भत्ते की दर**	
		₹14,700 से कम वेतन के लिए	**₹14,700 से अधिक वेतन के लिए**
1	**2**	**3**	**4**
1.	मिजोरम (क) मिजोरम का चिंपतुईपुई जिला और मिजोरम के लुंगलाई जिले के लुंगलाई शहर से 25 किलोमीटर के बाद के क्षेत्र	2000	2600
	(ख) मिजोरम के लुंगलाई शहर से 25 किलोमीटर के बाद के क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण लुंगलाई जिला	1600	2100
	(ग) मिजोरम का संपूर्ण आईजोल जिला	1200	1500
2.	नागालैंड	1600	2100
3.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (क) उत्तर एवं मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, निकोबार एवं नारकोंडम द्वीप समूह	2000	2600
	(ख) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	1600	2100
4.	सिक्किम	2000	2600
5.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	2000	2600
6.	असम	320	400

7.	मेघालय	320	400
8.	त्रिपुरा		
	(क) त्रिपुरा के दुष्कर क्षेत्र	1600	2100
	(ख) दुष्कर क्षेत्रों को छोड़कर सारा त्रिपुरा	2000	1500
9.	मणिपुर	1200	1500
10.	अरुणाचल प्रदेश		
	(क) अरुणाचल प्रदेश के दुष्कर क्षेत्र	2000	2600
	(ख) दुष्कर क्षेत्रों को छोड़कर सारा अरुणाचल प्रदेश	1600	2100
11.	जम्मू और कश्मीर		
	(क) कठुआ जिला :		
	नियाबत बानी, लोही, मलहार और मछोड़ी	2000	2600

क्रम संख्या	**ऐसा स्थान जहाँ भत्ता देय होगा**	**देय भत्ते की दर**	
		₹14,700 से कम वेतन के लिए	**₹14,700 से अधिक वेतन के लिए**
1	**2**	**3**	**4**
	(ख) उधमपुर जिला :		
	(i) दुडु बसंतगढ़, लांडर भामाग इलाका, इनके अलावा जो भाग 2(ख) में सम्मिलित थे ।	2000	2600
	(i) मोहरे तहसील के कंबन पक्ष से गोयल तक के क्षेत्र तथा कियासी पक्ष से अर्नास तक के क्षेत्र ।	1600	2100
	(ग) डोडा जिला :		
	किश्तवार तहसील के नियाबत नोगाम तथा पद्देर के इलाके	2000	2600
	(घ) लेह जिला :		
	जिले के सभी स्थान		
	(ङ) बारामुला जिला :	2000	2600
	(i) संपूर्ण गुरेज-निराबत, तंगदर उप-मंडल तथा		
	केरन इलाका	2000	2600
	(ii) मछिल		
	(च) पूंछ तथा रजौरी जिला :	1600	2100
	पूंछ तथा रजौरी शहर और सुंदरबनी एवं दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर पूंछ तथा रजौरी जिले के क्षेत्र	1200	1500
	(छ) उपर्युक्त (क) से (च) में शामिल नहीं किए गए क्षेत्र किंतु वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 कि.मी की दूरी में आने वाले ऐसे स्थान जहाँ सीमा भत्ते के लिए राज्य सरकार द्वारा उनके कर्मचारियों को समय-समय पर पात्र	1200	1500

IndiaCode

	घोषित किया गया है ।		
12.	हिमाचल प्रदेश (क) चंबा जिला	2000	2600
	(i) पंगी तहसील, भारमौर तहसील, पंचायत: बडगांव, बजोल, दओल कुगटी, नया गांम तथा टुंडा, गाँव: जगत ग्राम पंचायत का घाटु, चौहाता ग्राम पंचायत का कनारसी	1600	2100
	(ii) भरमौर तहसील, उपर्युक्त मद (i) में शामिल गावों एवं पंचायतों को छोड़कर		
क्रम संख्या	**ऐसा स्थान जहाँ भत्ता देय होगा**	**देय भत्ते की दर**	
		₹14,700 से कम वेतन के लिए	**₹14,700 से अधिक वेतन के लिए**
1	**2**	**3**	**4**
	(iii) भटियाट तहसील का झंडु पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी टाउन (बनिखेत सहित)	1200	1500
	(ख) किन्नौर जिला :	2000	2600
	(i) आश्रंग, चिटकुल तथा हांगो कुनो/चरंग पंचायत, 15/20 क्षेत्र जिसमें छोटा खंबा, नथपा तथा रुपी के ग्राम पंचायत हैं, पूह सब-डिविजन, उक्त विनिर्दिष्ट पंचायत क्षेत्र को छोड़कर।	1600	2100
	(ii) उपर्युक्त (क) में शामिल क्षेत्र के अलावा संपूर्ण जिले,	2000	2600
	(ग) कुल्लू जिला :		
	(i) निर्मांद तहसील के 15/20 क्षेत्र जिसमें खर्गा, कुशवार तथा सर्गा ग्राम पंचायत शामिल हैं ।	1200	1500
	(ii) आउटर-सेराज (निर्मांद तहसील के बरौ तथा जकत-खाना के गावों को छोड़कर) तथा संपूर्ण जिला (पंड्रबिस के परगना तथा आउटर सेराज क्षेत्र को छोड़कर किंतु निर्मांद तहसील के बरौ एवं जगत-खाना गांव को शामिल कर)	2000	2600
	(घ) लाहौल तथा स्पिति जिला :		
	लाहौल तथा स्पिति के संपूर्ण क्षेत्र	2000	2600
	(ङ) शिमला जिला :		
	(i) रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लबाना-सदाना, सरपारा तथा चडी-ब्रांदा के पंचायत शामिल हैं।		
	(ii) दोरा-कावर तहसील, रामपुर का दरकली ग्राम पंचायत, काशापथ तहसील तथा मुनिश, परगना सराहान का घोरी चाइबिस ।	1600	2100
	(iii) चोपल तहसील तथा घोरिस, पंजगांव, पाटस्नौ, नौबिस तथा सरहन परगना का तीन कोटी, तकलेश क्षेत्र का द्योती ग्राम पंचायत, परगना बराबिस, रामपुर कस्बा तथा रामपुर तहसील के परगना रामपुर का घोरी नोग, शिमला शहर तथा उसके उपनगर (धाली, जटोग, कसुमपती, मशोब्रा, तारादेवी एवं टुटु)	1200	1500

IndiaCode

क्रम संख्या	ऐसा स्थान जहाँ भत्ता देय होगा	देय भत्ते की दर	
		₹14,700 से कम वेतन के लिए	₹14,700 से अधिक वेतन के लिए
1	2	3	4
	(च) कांगड़ा जिला : (i) बड़ा भंगल तथा छोटा भंगल के क्षेत्र	1600	2100
	(ii) कांगड़ा जिले का धर्मशाला शहर तथा धर्मशाला शहर में शामिल किंतु नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय – महिला आईटीआई, दारी, मेकनिकल वर्कशोप, रामनगर, बाल कल्याण तथा शहर एवं देश आयोजना कार्यालय, सकोह, लोवर सकोह का सीआरएसएफ कार्यालय, कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुगियार, एचआरटीसी वर्कशोप, सधेर, मंडल मलेरिया कार्यालय, दारी, वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फैक्टरी, दारी, आईपीएच सब-डिविजन, दान, निपटान कार्यालय, शामनगर, हिनवा परियोजना, शामनगर। कांगड़ा जिले के पालमपुर टाउन, पालमपुर में एचपीकेवीवी कैंपस और नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय, किंतु पालमपुर टाउन में शामिल- एच.पी. कृषि विश्वविद्यालय परिसर, पशु विकास कार्यालय/जर्सी फार्म, बनूरी, रेशम उत्पादन कार्यालय/ इंडो-जर्मन कृषि वर्कशोप/ एचपीपीडब्ल्यूडी डिवीजन, बुन्दला, इलेक्ट्रिकल सब-डिवीजन, लोहाना, डी.पी.ओ. निगम, बुन्दला, इलेक्ट्रिकल एचईएसईई डिवीजन, घुग्गर।	1200	1500
	(छ) मंडी जिला : जोगिंदर नगर तहसील का छुहर घाटी, थुनाग के पंचायत बागड़ा, छत्री, छोटधार, गरगुशैन, गटू, गर्यास, जंजेली, जर्यार, जोहर, कलहनी, कल्वान, खोलनाल, लोथ, सिलिबागी, सोमचान, थछधार, ताची, थाना, धरमपुर ब्लॉक के पंचायत– बिंगा, कामला, सकलाना, तन्यार तथा ताराखोला, कर्सोग तहसील के पंचायत– बलिधार, बागड़ा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहूदी, मंज, पेखी, सैंज, साराहन और तेबान, सुंदरनगर तहसील के पंचायत– बोही, बटवारा, धन्यारा, पौड़ा-कोठी, सेरी, शोजा।	1200	1500

क्रम संख्या	ऐसा स्थान जहाँ भत्ता देय होगा	देय भत्ते की दर	
		₹14,700 से कम वेतन के लिए	₹14,700 से अधिक वेतन के लिए
1	2	3	4
	(ज) सिरमौर जिला : बनी, बखाली (पाछड़ तहसील), भड़ोग, भेनेड़ी (पौंटा तहसील), बिड़ला (नाहन तहसील), डिब्बड़ (पाछड़ तहसील) और थाना कसोगा (नाहन तहसील) के पंचायत।	1200	1500
	(i) सोलन जिला : मंगल पंचायत	1200	1500
	(झ) हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपर्युक्त मद (क) से (i) में शामिल नहीं है।	320	400

India Code

13.	**उत्तराखंड** चमौली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग और चंपावती जिले के क्षेत्र ।	2000	2600”

विवरणात्मक ज्ञापन

ऐसे विनियमों जिनको पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है, वे विशिष्ट जनादेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ के बीच, संबंधित बैंकों और बैंकों के शीर्ष स्तर के अधिकारी संघ द्वारा दिए गए संयुक्त नोट पर हस्ताक्षरित नियमों एवं शर्तों के अनुसार हैं । इसलिए, इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

डी.एस.ग्रोवर, उप महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./341/17]

नोट: भारत के राजपत्र में उपरूक्त विनियम में निम्न अधिसूचनाओं में संशोधन किया गया, अर्थात् :—

S. No.	NOTIFICATION NO	DATED	PUBLICATION DATE	AMENDMENT IN REGULATION No.
1	No. PSB/STAFF/OSR/1990	18.04.1990		2
2	No.PSB/STAFF/OSR/1991	03.05.1991	08.05.1991	21, 22, 24, 33, 41
3	No. PSB/STAFF/OSR/1992	19.05.1992	21.05.1992	23, 41, 44
4	No. PSB/STAFF/OSR/1995	15.02.1995	21.02.1995	19
5	No. PSB/STAFF/OSR/1996	08.10.1996	09.10.1996	4,5,21,22,23,24, 25,41,45,46
6	No. PSB/STAFF/OSR/1997	13.01.1997	27.01.1997	19
7	No. PSB/STAFF/OSR/1999	23.06.1999	24.07.1999	38
8	No. PSB/STAFF/OSR/2000	28.06.2000	07.07.2000	19
9	No. PSB/STAFF/OSR/2000	20.07.2000	12.08.2000	12,23,32,42
10	No. PSB/STAFF/OSR/2002	28.10.2002	06.11.2002	4,5,21,22,23,24,25,35,36,41,42,46
11	No. PSB/STAFF/OSR/2003	13.06.2003	28.06.2003	38
12	No. PSB/STAFF/OSR/2006	7.10.2006	20.10.2006	5

IndiaCode

PUNJAB AND SIND BANK

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2017

F. No. PSB/STAFF/OSR/2017.—In exercise of the powers conferred by Section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of the Punjab & Sind Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Punjab & Sind Bank (Officers') Service Regulations, 1982, namely:-

1. (1) These regulations may be called the **Punjab & Sind Bank (**Officers') Service (Amendment) Regulations, 2017.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of November, 2007, except as otherwise provided in these regulations.

2. In Punjab & Sind Bank (Officers') Service Regulations, 1982 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulations 3,-

(i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

'(f) "family" means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), physically challenged brother or sister with forty per cent, or more disability and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer.'

Explanation.- For the purposes of this clause a child or parent or physically challenged brother or sister shall be deemed to be dependent on the officer if the monthly income of such child, parent, brother or sister does not exceed Rs.3,500 per month.

Provided that if the income of one of the parents exceeds Rs.3,500 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs. 3,500 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.'

(ii) Clause (o) shall be omitted

3. In regulation 4 of the said regulations,-

(i) sub-regulation (4A) shall be omitted;

(ii) after sub-regulation (4A) as so omitted, the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

"(5) With effect from the 1st November, 2007, the scales of pay specified against each grade shall be as under

(a) Top Executive Grade

Scale VII = Rs.46800 - 1300/4 - 52000

Scale VI = Rs.42000 - 1200/4 - 46800

(b) Senior Management Grade

Scale V = Rs.36200 - 1000/2 – 38200 - 1100/2 - 40400

Scale IV = Rs.30600 - 900/4 – 34200 - 1000/2 - 36200

(c) Middle Management Grade

Scale III = Rs.25700 - 800/5 – 29700 - 900/2 - 31500

Scale II = Rs.19400 - 700/1 – 20100 - 800/10 - 28100

(d) Junior Management Grade

Scale I = Rs.14500 - 600/7 – 18700 - 700/2 – 20100 - 800/7 – 25700.

Explanation.- Every officer who is governed by the scales of pay in force as on the 31st October, 2007 shall be fitted in the scale of pay set out in this sub-regulation as on 1st November, 2007 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

(6) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.".

4. In regulation 5 of the said regulations,-

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation, shall be substituted, namely:-

"(1) Subject to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 4, on and from the 1st November, 2007, the increments shall be granted subject to the following, namely:-

(a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (5) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;

(b) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to scale of pay for Middle management Grade Scale II after reaching maximum of the higher scale shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which first two shall be Rs.800 each and next two Rs.900 each:

IndiaCode

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the second stagnation increment as on 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on 1st November, 2007 and another stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of second stagnation increment;

(c) officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs.900 each for every three completed years of service:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the first stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the next stagnation increment with effect from the 1st November, 2007 and a subsequent stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of the first stagnation increment:

Provided further the officers appointed to or promoted in substantive Middle Management Grade Scale III, shall be eligible for four stagnation increments of Rs. 900 each for every three completed years of service or :

Provided also that the officers who have already received two stagnation increments and completed more than three years of service after receipt of second stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on the 1st November, 2007 and the fourth stagnation increment, on or after the 1st November, 2008 on completion of six years after receipt of second stagnation increment.

Explanation.- Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.

(b) in sub regulation (2),-

(i) in the explanation, after clause (e) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

"(f) on and from the 1st day of November, 2007, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as under:-

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.410 per month one year after reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.410 per month after one year on reaching maximum of the Scale. (i) Rs.1030 per month after two years on reaching maximum of the Scale;

Provided that an Officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay:

Provided further that in a case where an officer, has already acquired any of the above qualifications and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he may be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st November 2007 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later.";

(ii) in the Note, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-

"(v) if an officer, as on the 27th April 2010 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he shall be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st day of November, 2007 or the date of acquiring such qualification, whichever is later.";

(c) in sub-regulation (3), -

(i) after clause (d) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

"(e) on and from the 1st November, 2007, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:-

TABLE

Increment Component (Rs.)	**Dearness Allowance as on 01.11.2007 on the increment components (Rs.)**	**Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)**
(A)	**(B)**	**(C)**
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394",

(ii) in the Note, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (C) of the Table under clauses (b), (c), (d) or (e) shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be aggregate amount specified under columns (A) and (B) of the Table under clause (e) and House Rent allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4) or (5) of regulation 4 is earned.";

(iii) clause (e) occurring after the Note shall be renumbered as sub-clause (v) thereof and for clause (v) as so numbered, the following clause be substituted, namely:-

"(v) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clause (b), (c), (d) or (e) above, one year after reaching the maximum of the scale";

5. In regulation 21 of the said regulations,-

(i) in sub-regulation (3), the Note shall be omitted;

(ii) in sub-regulation (4), the Note shall be omitted;

(iii) after sub-regulation (4), the following sub-regulation and Note shall be inserted, namely:-

"(5) On and from the 1st day of November, 2007, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.15% of Pay.

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation,-

(a) "pay" for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments;

(b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d), (e) and (f) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance'.

IndiaCode

6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulations (1) and (2), the following sub regulations shall be substituted, namely:-

"(1) on and from the 1st day of November, 2002,

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major "A" Class Cities and project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii) Other places	6.5% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.75 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

(2) on and from the 1st day of November, 2007,-

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.20 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:-

TABLE

Where the place of work is in	**HRA payable shall be**
(1)	(2)
(i) Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii) Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.20 per cent of pay in the first stage of the Scale of Pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) above.

Note:- The claims of officers for House Rent allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of House Rent Allowance as hitherto.";

7. In regulation 23 of the said regulations,-

(i) in sub-regulation (1), for the figures, letters and words "1st day of November 2002" , the figures,

IndiaCode

letters and words "1st day of November 2007" shall be substituted;

(ii) in sub-regulation (2), for the figures, letters and words "1st day of November 2002, the figures, letters and words "1st day of November 2007" shall be substituted;

(iii) for sub-regulation (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted namely:-

"(3) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.290 per month or Rs.255 per month according to the classification of area as Group A or Group B.

(4) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.700 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1st day of May, 2010, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent of pay subject to a maximum Rs.2300 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organization which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs. 1200 per month.";

(iv) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(8) on and from the 1st day of November 2007, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.165 per month.";

(v) in sub-regulation (10),-

(a) for the figures, letters and words "1st day of November, 2002", the figures, letters and words "1st day of November, 2007" shall be substituted;

(b) for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

"TABLE

Place (1)	Rate (2)
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.550 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2½% of pay subject to a maximum of Rs.680 per month
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.1570 per month";

8. In regulation 24 of the said regulations, in sub-regulation (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) Medical Expenses.- On and from the 1st day of November 2007, an officer shall be eligible

for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
Junior management and Middle Management Grade	Rs.5100 or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.6320 or the amount incurred whichever is less

Note:- (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above or;

(ii) for the year 2007, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November 2007 and December, 2007.

Explanation.- for the purposes of this regulation,-

(i) hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100 per cent in the case of an officer and 75 per cent, in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization or;

(ii) on and from the 1st day of May, 2010, reimbursement of hospitalisation expenses under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme as laid down under the Bipartite Settlement dated the 27th day of April, 2010 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely:-

TABLE

(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III.	(i) Bed Charges Self - Rs. 700 per day Family - Rs. 525 per day (ii) Other charges At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.
(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII	(i) Bed Charges Self - Rs. 900 per day Family - Rs. 675 per day (ii) Other charges At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.”;

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2007, a sum equal to 1.20 per cent, of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.25 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for

electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.".

10. In regulation 36 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely :-

"(3) With effect from the 1st day of May 2010, within the overall period of 12 months, leave may also be granted in case of hysterectomy upto a maximum of 45 days."

11. In regulation 41 of the said regulations, in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

'(a) Halting Allowance – On and from 1st day of May, 2010, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the Table below shall be entitled to per diem' Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:-

TABLE

Grades/Scales of officers	**Major 'A' Class cities**	**Area I**	**Other places**
(1)	**(2)**		
	Rs.	**Rs.**	**Rs.**
Officers in Scale IV and above	1000	800	700
Officers in Scale I/II/III	800	700	600

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, Halting Allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz., Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs.1200 and for officers in Scale I or II or III, the per diem Halting Allowance an shall be Rs.1000:

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.- For the purpose of computing Halting allowance "per diem" shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, "per diem" shall mean a period of not less than eight hours.'.

12. In regulation 42 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(4) On and from the first day of May 2010, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:-

"TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs.12000
Middle Management and Junior Management	Rs.9000".

13. In regulation 44 of the said regulations, in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that with effect from the 1st May 2010, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC First Class fare by train for the distance travelled, whichever is less and the same rules shall apply to an officer in Middle Management Grade

Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 kms.".

14. In regulation 45 of the said regulations,-

(i) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that there shall be no Provident Fund to Officers joining the services of the Banks on or after 1st day of April, 2010.";

(ii) in sub-regulation (3), after clause (b) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

"(c) Officers who are covered under the Contributory Provident Fund Scheme who do not opt for Pension Scheme shall continue under the Contributory Provident Fund Scheme.";

(iii) after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(4) The officers joining the services of the Bank on or after the 1st day of April 2010 shall be covered by a Defined Contributory Pension Scheme, where the officer shall contribute ten per cent, of pay plus Dearness Allowance and the Bank shall make the similar amount of contribution in accordance with the provisions of the Contributory Pension Scheme in accordance with New Pension Scheme notified by the Central Government vide notification of the Government of India, F.No.5/7/2003-ECB & PR dated the 22nd December, 2003, as amended from time to time."

15. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely,:-

"Schedule to (Officers') Service Regulations, 1982

(See sub-regulation (2) of regulation 23)

With effect from the 1st day of November, 2007, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs. 14,700/-	Pay above Rs. 14,700/-
1	2	3	4
1	Mizoram (a) Chimptuipui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram	2000	2600
1	(a) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms, from Lunglei town of Mizoram. (c) Throughout Aizawl District of Mizoram	1600 1200	2100 1500
2	Nagaland	1600	2100
3.	Andaman and Nicobar Islands (a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands (b) South Andaman (including Port Blair)	2000 1600	2600 2100
4.	Sikkim	2000	2600
5.	Lakshadweep Islands	2000	2600
6.	Assam	320	400

7.	Meghakaya	320	400
8.	Tripura (a) Difficult areas of Tripura	1600	2100
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	2000	1500
9	Manipur	1200	1500
10.	Arunachal Pradesh (a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	2000	2600
	(b) Throughout of Arunachal Pradesh other than difficult areas.	1600	2100
11.	Jammu and Kashmir (a) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	2000	2600
	(b) Udhampur District: (i) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, other than those included in Part 2(b).	2000	2600
	(ii) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	1600	2100
	(c) Doda Diistrict: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	2000	2600
	(d) Leh District: All places in the District	2000	2600
	(e) Barmulla District	2000	2600
	(i) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and keranlIllaaqua		
	(ii) Matchill	1600	2100
	(f) Poonch and Rajouri District: Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	1200	1500
	(g) Areas not included in items (a) to (f) above, but which are within distance of 8kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time to time by the State Government for their own staff.	1200	1500
12.	Himachal Pradesh (a) Chamba District (i) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil, Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	2000	2600

IndiaCode

	(ii) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in item (i) above.	1600	2100
	(iii) Jhandru panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	1200	1500
	(b) Kinnaur District: (i) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/Charang Panchayats, 15/20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above. (ii) Entire District other than Areas included in (a) above, (c) Kullu District: (i) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga (ii) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand). (d) Lahaul and Spiti District: Entire area of Lahaul and Spiti (e) Shimla District: (i) 15/20 Area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	2000 1600 2000 1200 2000 2000	2600 2100 2600 1500 2600 2600
	(ii) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan. (iii) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	1600 1200	2100 1500
	(f) Kangra District: (i) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal	1600	2100
	(ii) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town-Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar. Palampur Town of Kangra District including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. Krishi Vishwavidhalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.	1200	1500

IndiaCode

	(g) Mandi District: Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja. (h) Sirmaur District: Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), BharogBheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri tract	1200 1200	1500 1500
	(i) Solan District : Mangal Panchayat. (j) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in items (a) to (i) above.	1200 320	1500 400
13.	**Uttarakhand** Areas under Chamoli, Pithoragarh, utarkashi, Rudraprayad and Champavat Districts.	2000	2600”

IndiaCode

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

D. S. GROVER, Dy. General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./341/17]

Note: various amendments in the regulations were published in the Gazette of India on vide following notifications, namely:-

S.No.	NOTIFICATION NO.	DATED	PUBLICATION DATE	AMENDMENT IN REGULATION No.
1	No. PSB/STAFF/OSR/1990	18.04.1990		2
2	No. PSB/STAFF/OSR/1991	03.05.1991	08.05.1991	21, 22, 24, 33, 41
3	No. PSB/STAFF/OSR/1992	19.05.1992	21.05.1992	23, 41, 44
4	No. PSB/STAFF/OSR/1995	15.02.1995	21.02.1995	19

5	No. PSB/STAFF/OSR/1996	08.10.1996	09.10.1996	4,5,21,22,23,24, 25,41,45,46
6	No. PSB/STAFF/OSR/1997	13.01.1997	27.01.1997	19
7	No. PSB/STAFF/OSR/1999	23.06.1999	24.07.1999	38
8	No. PSB/STAFF/OSR/2000	28.06.2000	07.07.2000	19
9	No. PSB/STAFF/OSR/2000	20.07.2000	12.08.2000	12,23,32,42
10	No. PSB/STAFF/OSR/2002	28.10.2002	06.11.2002	4,5,21,22,23,24,25,35,36,41,42,46
11	No.PSB/STAFF/OSR/2003	13.06.2003	28.06.2003	38
12	No.PSB/STAFF/OSR/2006	7.10.2006	20.10.2006	5

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2017

पी.एस.बी/स्टाफ़/ औ.एस.आर/2017 ऐ.— बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 19 और 12 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से **पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी)** सेवा विनियम 1982 में आगे संशोधन हेतु एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. (1) इन विनियमों को **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** (अधिकारी) सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जाएगा।

 (2) संबंधित विनियम में जहाँ कहीं भी वर्णन दिया गया है उसको छोड़कर, ये विनियम 2 जून, 2005 से लागू होंगे।

2. **पंजाब एण्ड सिंध बैंक**(अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 (इसके बाद उक्त विनियम के रूप में संदर्भित होगा) के विनियम 3 में –

 (i) खंड छ(जी) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात् –

 '(छ) "परिवार" का अर्थ अधिकारी की पत्नी/पति (जो बैंक का कर्मचारी नहीं है), पूर्णतया आश्रित अविवाहित बच्चे (जिसमें आश्रित सौतेला तथा कानूनन गोद लिए गए बच्चे शामिल हैं) और माता-पिता जो सामान्यतया अधिकारी के साथ रहते हैं और उन पर पूर्णतया आश्रित हैं।;

 (ii) खंड ण(ओ) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात् –

 '(ण) "पूर्णतया आश्रित बच्चे या माता-पिता" का अर्थ उन बच्चों या माता-पिता से है जिनकी आय रु 2,550/- प्रतिमाह से अधिक नहीं है।'

 टिप्पणी :

 यदि माता-पिता में से किसी एक की आय रु 2,550 प्रतिमाह से अधिक है या माता-पिता दोनों की समग्र आय रु 2,550 प्रतिमाह से अधिक है, तो माता-पिता दोनों को अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित नहीं माना जाएगा।

3. उक्त विनियमों में, विनियम 4 के उप विनियम (4) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात् –

 (4) 01 नवंबर, 2002 को और उसके बाद, प्रत्येक श्रेणी के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नवत् होंगे:

 (क) उच्च कार्यपालक श्रेणी :

 वेतनमान VII – रु 29340 – $\frac{680}{2}$ – 30700 – $\frac{900}{1}$ – 31600 – $\frac{1000}{1}$ – 32600

 वेतनमान VI – रु 26620 – $\frac{680}{4}$ – 29340

 (ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

 वेतनमान V – रु 24140 – $\frac{620}{4}$ - 26620

वेतनमान IV – रु 20480 – $\frac{560}{1}$ – 21040 – $\frac{620}{5}$ – 24140

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान III – रु 18240 – $\frac{560}{5}$ – 21040 – $\frac{620}{2}$ – 22280

वेतनमान II – रु 13820 – $\frac{500}{1}$ – 14320 – $\frac{560}{10}$ – 19920

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान I – रु 10000 – $\frac{470}{6}$ – 12820 – $\frac{500}{3}$ – 14320 – $\frac{560}{7}$ – 18240

टिप्पणी :

31.10.2002 को लागू वेतनमानों द्वारा शासित होने वाले प्रत्येक अधिकारी का नियमन 01 नवंबर 2002 को इस उप विनियम में निर्धारित वेतनमान में प्रक्रम-दर-प्रक्रम आधार पर किया जाएगा, अर्थात् पहले प्रक्रम से तदनुरूपी प्रक्रमों पर और वेतनवृद्धियां, अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, सामान्यतया अधिवर्षिता तिथि को होंगी।

(4क) उप-विनियम (1), (2), (3) और (4) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित है।

4. उक्त विनियमों में, विनियम 5 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होगा, अर्थात् –

5. वेतन वृद्धियां -

(1) विनियम 4 के उप-विनियम (4) के उपबंधों के अधीन, 1 नवंबर, 2002 को और उस तिथि से, वेतनवृद्धियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाएंगी, अर्थात् –

(क) विनियम 4 के उप-विनियम (4) में उपवर्णित वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्याधीन वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होंगी और वे जिस महीने में देय होती हैं उस महीने की पहली तिथि को दी जाएंगी ;

(ख) वेतनमान I और वेतनमान II के अधिकारियों को, अपने संबंधित वेतनमानों के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात्, अगले उच्च वेतनमान में अवरोध वेतन वृद्धि(यों) सहित आगे की वेतन-वृद्धियां नीचे खंड (ग) में विनिर्दिष्ट आधार पर दी जाएगी, बशर्ते कि वे दक्षतारोध को पार कर लें ;

(ग) ऊपर खंड (ख) में उल्लिखित अधिकारियों सहित, मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II तथा III के अधिकतम पर पहुँचने वाले अधिकारियों को, यथास्थिति, वेतनमान II तथा III के अंतिम प्रक्रम पर पहुँचने के पश्चात् प्रत्येक 3 वर्षों की सेवा पूरी होने पर अवरोध वेतनवृद्धि(यां) दी जाएगी। वेतनमान II के अंतिम प्रक्रम पर पहुंच चुके अधिकारियों के मामले में रु 560/- की अधिक से अधिक दो वेतनवृद्धियां दी जाएंगी तथा वेतनमान III, के अंतिम प्रक्रम के अधिकारियों के मामले में रु 620/- की एक वेतनवृद्धि दी जाएगी। ये वेतनवृद्धियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूर की जाएगी ;

परंतु, 1 नवंबर, 1994 को और उसके बाद से, मूल वेतनमान III के अधिकारियों को अर्थात् जो वेतनमान III में भरती या पदोन्नत हुए हैं, दूसरी अवरोध वेतनवृद्धि पहली अवरोध वेतनवृद्धि पाने के तीन वर्ष के पश्चात् प्रदान की जाएगी।

परंतु आगे ऐसी वेतन वृद्धि(यां) अगले उच्च वेतनमान/अवरोध वेतनवृद्धि उस अधिकारी को नहीं दी जाएगी जिसने पदोन्नति को अस्वीकार कर दिया हो।

टिप्पणी : अगले उच्चतर वेतनमान में की गई ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जाएगा। ऐसी वेतनवृद्धियां पाने के पश्चात् भी अधिकारी को, यथास्थिति, उसके अपने मूल पद के वेतनमान I तथा II, जैसी भी स्थिति हो, के ही विशेषाधिकार, परिलब्धियां, ड्यूटी, उत्तरदायित्व अथवा पद मिलेंगे।

(2) सी.ए.आई.आई.बी. का भाग 1/भारतीय बैंकर संस्थान के कनिष्ठ एसोसिएट और भाग II भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोसिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी।

IndiaCode

स्पष्टीकरण : (क) जिस अधिकारी ने नियत तिथि से पहले अधिकारी के रूप में भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोसिएट परीक्षा का भाग I या भाग II उत्तीर्ण कर लिया हो, उसे नियत तिथि से, यथास्थिति, अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा वेतनवृद्धियां दी जाएंगी, बशर्ते उसने उक्त परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण करने पर कोई वेतनवृद्धि न ली हो अथवा केवल एक वेतनवृद्धि ली हो।

(ख) 01 नवंबर, 1987 को तथा उसके बाद से, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने वाले अथवा पहुंच चुके ऐसे अधिकारियों को जो पदोन्नति पाए बिना और आगे नहीं जा सकते, सरकारी दिशानिर्देशों के अधीन, यदि कोई हो, सी.ए.आई.आई.बी. परीक्षा उत्तीर्ण करने के परिणाम स्वरूप अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के स्थान पर निम्नानुसार व्यावसायिक अर्हता भत्ता दिया जाएगा :

तालिका

जिन्होंने सी.ए.आई.आई.बी. का केवल भाग I उत्तीर्ण किया है।	(i)एक वर्ष पश्चात् रु 100/- प्रति माह, जिसमें से रु 75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे।
जिन्होंने सी.ए.आई.आई.बी. के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं	(i)एक वर्ष पश्चात् रु 100/- प्रति माह, जिसमें से रु 75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे।
	(ii) दो वर्ष पश्चात् रु 250/- प्रति माह, जिसमें से रु 200/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे।

(ग) 01 नवंबर, 1994 को तथा उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता भत्ते की मात्रा निम्न तालिका अनुसार संशोधित होंगी :-

तालिका

जिन्होंने सी.ए.आई.आई.बी. का केवल भाग I उत्तीर्ण किया है।	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् रु 120/- प्रति माह।
जिन्होंने सी.ए.आई.आई.बी. के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् रु 120/- प्रति माह।
	(ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात् रु 300/- प्रति माह।

परंतु, विनियम 5 के उपनियम (3) के खंड (ख) के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र अधिकारी, व्यावसायिक अर्हता भत्ता, यथास्थिति, क्रमशः भाग I या II के लिए ऐसा नियत वैयक्तिक भत्ता पाने के एक/दो वर्ष पश्चात् व्यावसायिक अर्हता भत्ता प्राप्त कर सकेंगे।

(घ) 01 नवंबर, 1999 को और उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता भुगतान की मात्रा निम्न तालिका अनुसार संशोधित होंगी:

तालिका

जिन्होंने जे.ए.आई.आई.बी. या सी.ए.आई.आई.बी. का केवल भाग I उत्तीर्ण किया है।	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् रु 150/- प्रतिमाह।
जिन्होंने जे.ए.आई.आई.बी. और सी.ए.आई.आई.बी. या सी.ए.आई.आई.बी. के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं।	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् रु 150/- प्रतिमाह।
	(ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात् रु 360/- प्रतिमाह।

परंतु, जो अधिकारी वेतनमान I और वेतनमान II में हैं तथा उन्हें उप-विनियम (1) (ख) के अनुसार अगले उच्चतर वेतनमान में अतिरिक्त वेतनवृद्धियां मंजूर की गई हैं, ऐसे उच्चतर वेतनमान में अधिकतम पर पहुंचने के, यथास्थिति, एक/दो वर्ष पश्चात् व्यावसायिक अर्हता भुगतान प्राप्त करेंगे।

(घ) 01 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता भुगतान की मात्रा निम्न तालिका के अनुसार संशोधित होंगी:

तालिका

जिन्होंने जे.ए.आई.आई.बी. या सी.ए.आई.आई.बी. का भाग I उत्तीर्ण किया है।	(i)वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् रु 300/- प्रतिमाह।
जिन्होंने सी.ए.आई.आई.बी. के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं।	(i)वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् रु 300/- प्रतिमाह।
	(ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात् रु 750/- प्रतिमाह।

परंतु, जो अधिकारी वेतनमान I और वेतनमान II में हैं तथा उन्हें उप-विनियम (1) (ख) के अनुसार अगले उच्चतर वेतनमान में अतिरिक्त वेतनवृद्धियां मंजूर की गई हैं, ऐसे उच्चतर वेतनमान में अधिकतम पर पहुंचने के, यथास्थिति, एक/दो वर्ष पश्चात् व्यावसायिक अर्हता भुगतान प्राप्त करेंगे।

टिप्पणी (i) यदि किसी ऐसे अधिकारी को जिसे व्यावसायिक अर्हता भुगतान मिल रहा है, अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे उच्चतर वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित करते समय उसे वेतनमान में उपलब्ध वेतनवृद्धियों की सीमा तक जे.ए.आई.आई.बी/सी.ए.आई.आई.बी की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धियां दी जाएंगी और यदि वेतनमान में कोई वेतनवृद्धियां उपलब्ध नहीं है, तो अधिकारी वेतनवृद्धि (यों) के एवज में व्यावसायिक अर्हता भुगतान पाने का पात्र होगा।

(iii) 01 नवंबर, 1994 को तथा उसके बाद से, यथास्थिति, व्यावसायिक अर्हता भत्ते या व्यावसायिक अर्हता भुगतान को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा अधिवर्षिता लाभों के लिए गिना जाएगा।

(iii) वैसे अधिकारी व्यावसायिक अर्हता भुगतान के लिए उपर्युक्त अनुसार पात्र नहीं होंगे जिन्होंने पदोन्नति को अस्वीकार कर दिया हो।

(iv) यदि कोई अधिकारी अपने वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद जे.ए.आई.आई.बी. या सी.ए.आई.आई.बी. (कोई एक भाग या दोनों) की योग्यता प्राप्त करता है तो, उन्हें योग्यता प्राप्त करने की तिथि से व्यावसायिक अर्हता भुगतान की पहली किस्त दी जाएगी और व्यावसायिक अर्हता भुगतान के बाद की किस्त का निर्मोचन इसकी पहली किस्त के निर्मोचन की तारीख से संदर्भित होगा।

(v) यदि किसी अधिकारी ने खंड (iv) में वर्णित योग्यता में से किसी एक को 02 जून, 2005 की स्थिति में प्राप्त कर लिया है और ऐसी अर्हता प्राप्त करने के एवज में कोई वेतनवृद्धि या व्यावसायिक अर्हता भुगतान हासिल नहीं की है, उन्हें 01 नवंबर, 2002 या ऐसी अर्हता प्राप्त करने की तारीख, जो भी बाद में हो, से उपर्युक्त दिए गए दर के अनुसार व्यावसायिक अर्हता भुगतान निर्मोचित किया जाएगा।

(3) (क) जो अधिकारी 01 नवंबर, 1993 को बैंक की स्थायी सेवा में हैं उन्हें वेतनमान में एक अग्रिम वेतनवृद्धि दी जाएगी। जो अधिकारी 01 नवंबर, 1993 को परिवीक्षा पर हैं उन्हें एक अग्रिम वेतनवृद्धि स्थायीकरण के एक वर्ष पश्चात् दी जाएगी।

टिप्पणी – अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ग) जो अधिकारी वेतनमान के अधिकतम पर पहुँच चुका है या जो 01 नवंबर, 1993 को अवरोध वेतनवृद्धि (यां) प्राप्त कर चुका है, वह 01 नवंबर, 1993 से नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त कर सकेगा जो अंतिम आहरित वेतनवृद्धि और उस पर 01 नवंबर, 1993 को देय महंगाई भत्ता तथा विनियम 22 के अनुसार लागू दरों पर मकान किराया भत्ते की राशि के जोड़ के बराबर होगा। यहां नीचे दी गई तालिका के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ते के साथ-साथ मकान किराया भत्ता, यदि कोई हो, अगले परिशोधन तक वैध रहेगा।

तालिका

वेतनवृद्धि घटक	वेतनवृद्धि घटक पर 01 नवंबर, 1993 को महंगाई भत्ता	जहाँ बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है वहाँ देय कुल नियत वैयक्तिक भत्ता
(क) रु	(ख) रु	(ग) रु
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

(ग) 01 नवंबर, 1999 को और उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, नियत वैयक्तिक वेतन, मकान किराया भत्ता, यदि कोई हो, सहित निम्न तालिका के अनुसार दिया जाएगा :

तालिका

वेतन वृद्धि घटक	वेतनवृद्धि घटक पर 01 नवंबर, 1997 को महंगाई भत्ता	जहां बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है वहाँ देय कुल नियत वैयक्तिक भत्ता
(क) रु	(ख) रु	(ग) रु
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

(घ) 01 नवंबर, 2004 को और उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, नियत वैयक्तिक भत्ता के साथ-साथ मकान किराया भत्ता, यदि कोई हो, नीचे दिए गए तालिका के अनुसार होगा और सेवा की संपूर्ण अवधि के लिए अवरुद्ध रहेगा।

तालिका

वेतन वृद्धि घटक	वेतनवृद्धि घटक पर 01.11.2002 को महंगाई भत्ता	जहां बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है वहाँ देय कुल नियत वैयक्तिक भत्ता
(क) रु	(ख) रु	(ग) रु
560	23	583
620	25	645
680	28	708
1000	41	1041

टिप्पणी :

(i) विनियम 5 के उप-विनियम 3 के खंड (ख), (ग) एवं (घ) में तालिका के कॉलम (ग) के अंतर्गत निर्दिष्ट नियत वैयक्तिक भत्ता/नियत वैयक्तिक वेतन उन अधिकारी कर्मचारियों को देय होगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है।

IndiaCode

(ii) मकान किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों को नियत वैयक्तिक भत्ता/नियत वैयक्तिक वेतन विनियम 4 के उप-विनियम (2) और (3) में विनिर्दिष्टानुसार संबंधित वेतनमान की वेतनवृद्धि घटक पर (क) +(ख) +संबद्ध अधिकारी द्वारा विनियम 5 के उप-विनियम 3 के खंड (ख), (ग) एवं (घ) में निर्दिष्टानुसार आहरित मकान किराया भत्ता होगा।

(iii) 01 नवंबर, 1999 को या उसके बाद से, नियत वैयक्तिक वेतन देने के कारण उप-विनियम (2) के अधीन स्पष्टीकरण (ग) के अनुसार व्यावसायिक अर्हता भुगतान करने की अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं होगाः-

परंतु, जहाँ व्यावसायिक अर्हता भुगतान भी कोई किस्त, जो पूर्व के प्रावधानों के कारण एक वर्ष तक बढ़ा दी गई थी और 01 नवंबर, 1999 को या उसके बाद जारी की जाने वाली है, अधिकारी को इस तारीख को या से दी जाएगी और व्यावसायिक अर्हता भुगतान, यदि कोई हो, की दूसरी किस्त 01 नवंबर, 2000 को दी जाएगी।

(iv) नियत वैयक्तिक भत्ते/नियत वैयक्तिक वेतन के वेतनवृद्धि घटक को अधिवर्षिता लाभ के लिए गिना जाएगा।

(ङ) जिस अधिकारी को उपर्युक्त खंड (क) के अनुसार वेतनवृद्धि मिल चुकी है, उसे ऊपर खंड (ख), (ग) या (घ) में उल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ते/नियत वैयक्तिक वेतन की प्रमात्रा, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात प्राप्त होगी।

5. विनियम 21 के उक्त विनियमों में, उप-विनियम 3 के बाद निम्नलिखित उप-विनियमों को जोड़ा जाएगा ; अर्थात्

(4) 01 नवंबर, 2002 को या उसके बाद से, महंगाई भत्ता योजना निम्नानुसार होगी:

(क) अखिल भारतीय औसत कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार पर 1960=100 के तिमाही औसत में 2288 अंकों से अधिक प्रति 4 अंकों के उतार या चढ़ाव के लिए महंगाई भत्ता देय होगा।

(ख) 01.11.2002 से 31.01.2005 की अवधि के दौरान निम्न दरों पर महंगाई भत्ता देय होगा :

i. रु 9,650 तक 'वेतन' का 0.18% +

ii. रु 9,650 से अधिक और रु 15350 तक 'वेतन' का 0.15% +

iii. रु 15350 से अधिक और रु 16350 तक 'वेतन' का 0.09% +

iv. रु 16350 से अधिक 'वेतन' का 0.04%

(ग) 01 फरवरी 2005 को या उसके बाद से, महंगाई भत्ता वेतन का 0.18% देय होगा :

टिप्पणी:

(अ) महंगाई भत्ते के प्रयोजन हेतु 'वेतन' में मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं।

(आ) विनियम 5 के उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण (ग), (घ) और (ङ) में निर्दिष्टानुसार, व्यावसायिक अर्हता भत्ते या व्यावसायिक अर्हता वेतन को महंगाई भत्ते के लिए गिना जाएगा।

6. विनियम 22 के लिए उक्त विनियम में, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे अर्थात्

'22'. मकान किराया भत्ता –

(1) (क) 01 नवंबर, 1999 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो उससे वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 2.5% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा।

(ख) 1.11.1999 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तो वह तालिका में निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा।

IndiaCode

तालिका

कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	**देय मकान किराया भत्ता**
(1)	(2)
(i) सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख 'ए' वर्ग के नगरों तथा समूह 'ए' के परियोजना क्षेत्र केंद्रों में	वेतन का 9% प्रति माह
(ii) क्षेत्र I के स्थान तथा समूह 'बी' के परियोजना क्षेत्र केंद्रों में	वेतन का 8% प्रति माह
(iii) क्षेत्र II तथा उपर्युक्त (i) और (ii) के अंतर्गत न आने वाले सभी स्थान	वेतन का 7% प्रति माह

परंतु, यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 2.5% से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया या ऊपर स्तंभ (2) के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का 150%, जो भी कम हो, देय होगा।

(2) (क) 01.11.2002 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो उससे वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 1.75% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा।

(ख) 1.11.2002 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तो वह निम्न तालिका के अनुसार मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा :

तालिका

कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(1)	(2)
(i) प्रमुख 'ए' वर्ग के नगरों तथा समूह 'ए' के परियोजना क्षेत्र केंद्रों में	वेतन का 8.5%
(ii) क्षेत्र I के स्थान तथा समूह 'बी' के परियोजना क्षेत्र केंद्रों में	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 6.5%

परंतु, यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 1.75% से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया या उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150% देय होगा।

(3) यदि कोई अधिकारी अपने ही मकान में रहता है तो उसे उप-विनियम (1) (ख) और (2) (ख) में उल्लिखित परंतुक के आधार पर इस प्रकार मकान किराया भत्ता मिलेगा मानो वह निम्न (अ) अथवा (आ) में से उच्चतर के बारहवें भाग के बराबर मासिक किराया दे रहा हो:-

(अ)

निम्नलिखित का योग :

i) निवास स्थान के लिए देय नगरपालिका कर, और

ii) भूमि की लागत सहित निवास स्थान की पूंजीगत लागत का 12% और यदि निवास स्थान किसी भवन का भाग है तो उतने भाग की भूमि के आनुपातिक हिस्से की पूंजीगत लागत, किंतु इसके अंतर्गत वातानुकूल जैसे विशेष जुड़नार शामिल नहीं होंगे; या

(आ)

निवास स्थान के लिए नगरपालिका कर निर्धारण हेतु आंका गया वार्षिक किराया मूल्य।

IndiaCode

स्पष्टीकरण –

(1) इस विनियम के प्रयोजन हेतु ' मानक किराया ' से अभिप्रेत है:

(क) बैंक के स्वामित्व वाले निवास स्थानों के मामले में सरकार में ऐसे निवास स्थानों के संबंध में प्रचलित पद्धति के अनुसार आंका गया मानक किराया,

(ख) जहाँ आवास बैंक द्वारा किराए पर लिया गया हो, बैंक द्वारा देय संविदागत किराया अथवा उपर्युक्त (अ) में बताई गई कार्यविधि के अनुसार परिकलित किराया, इनमें से जो भी कम हो।

(2) मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु ' वेतन ' का तात्पर्य मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियों से है।

(3) मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु, यथास्थिति, व्यावसायिक अर्हता भत्ते या व्यावसायिक अर्हता भुगतान को 01 नवंबर, 1994 से प्रभावी गिना जाएगा।

(4) इस विनियम और विनियम 23 के उप-विनियम (1) तथा (2) के प्रयोजन हेतु, क्षेत्र I और क्षेत्र II के निम्न अभिप्राय हैं :

क्षेत्र I : 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थान

क्षेत्र II : वे सभी स्थान जो क्षेत्र-I में शामिल नहीं किए गए हैं।

7. विनियम 23 के लिए उक्त विनियमों में, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे :

23. अन्य भत्ते :

(1) 01 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से, अधिकारी निम्नलिखित तालिका के अनुसार नगर प्रतिकर भत्ता पाने का पात्र होगा :

तालिका

स्थान	दर
(1)	(2)
(क) क्षेत्र I के स्थान और गोवा राज्य	मूल वेतन का 4%, अधिकतम रु 540/- प्रति माह
(ख) 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और राज्यों की राजधानियां तथा चंडीगढ़, पांडिचेरी और पोर्ट ब्लेयर जो ऊपर (क) में नहीं आते	मूल वेतन का 3%, अधिकतम रु 375/- प्रति माह
(क) अन्य स्थान	शून्य

(2) 01 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से, विशेष क्षेत्र भत्ते की दरें इन विनियमों की अनुसूची के अनुसार होगी।

(3) 01 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी ग्रुप ए या ग्रुप बी की किसी परियोजना क्षेत्र में सेवारत है तो, वह निर्धारित ग्रुप ए या ग्रुप बी में क्रमशः रु 210 प्रतिमाह या रु 185 प्रतिमाह की दर से परियोजना क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ते के लिए पात्र होगा।

(4) 01 जनवरी, 2004 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण किसी शैक्षणिक वर्ष के मध्य में किया जाता है और पूर्ववर्ती स्थान पर उसके एक या अधिक बच्चे स्कूल अथवा कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो उसे दूसरे स्थान पर कार्यग्रहण करने की तिथि से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक सभी बच्चों के लिए रु 500 प्रति माह का मध्य शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता देय होगा।

परंतु पूर्ववर्ती स्थान में सभी बच्चों द्वारा अध्ययन समाप्त करने पर उस भत्ते का भुगतान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।

(5) 01 जून, 2005 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्ति के पद पर देय उन सभी परिलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अपना विकल्प दे सकता है। विकल्पतः वह अपने वेतन के अतिरिक्त वेतन का 7.75%, अधिकतम रु 1500/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है जो उसे उसी स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने की स्थिति में मिलते।

परंतु, यदि उसे उसकी प्रतिनियुक्ति से पूर्व उसकी तैनाती के स्थान पर ही स्थित किसी संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे उसके वेतन का 4% अधिकतम रु 750/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा।

IndiaCode

परंतु यह भी कि जिस अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में, प्रतिनियुक्त किया जाता है, उसे उसके वेतन का 4% अधिकतम रु 750/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा।

(6) यदि किसी अधिकारी से कम से कम 7 दिन लगातार या किसी कैलेंडर महीने के दौरान कुल सात दिन किसी उच्चतर श्रेणी में किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य लिया जाता है तो उसे स्थानापन्न रूप में कार्य करने की अवधि के लिए, यथानुपात, उसके वेतन का 6% स्थानापन्न भत्ता मिलेगा। स्थानापन्न भत्ते को भविष्य निधि/पेंशन के लिए हिसाब में लिया जाएगा किंतु अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं।

परंतु यदि कोई अधिकारी विनियम 6 के अधीन पदों के प्रवर्गीकरण के मात्र पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न रूप में कार्य करता है तो उसे प्रवर्गीकरण के पुनरीक्षण के प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न भत्ता नहीं मिलेगा।

(7) यदि किसी अधिकारी को ऐसी शाखा में तैनात किया जाता है जहाँ 01 अप्रैल तथा 30 सितंबर को बहियां बंद की जाती हैं तो उसे दोनों लेखाबंदी हेतु रु 250/- का लेखाबंदी भत्ता देय होगा।

(8) 01 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से, यदि दिन में उसके कार्य समय में न्यूनतम 2 घंटे के लिए विखंडन किया जाता है तो उसे रु 125/- प्रतिमाह सेवा विखंडन भत्ता देय होगा।

(9) यदि वह अवकाश के दिन वाल्ट या तिजोरी के अभिरक्षक के रूप में कार्य करता है तो उस पर लागू दर से उसे "डाइम भत्ता" देय होगा।

(10) 01 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से, अधिकारी, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित दर पर पर्वत तथा ईंधन भत्ते का पात्र होगा : -

तालिका

स्थान	दर
(1)	(2)
(i) 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान	वेतनमान का 5% अधिकतम रु 1150 प्रतिमाह
(ii) 1500 मीटर और उससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 2 1/2% अधिकतम रु 500 प्रतिमाह
(iii) 1000 मीटर और उससे अधिक परंतु 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान और मरकारा टाउन	वेतन का 2% अधिकतम रु 400 प्रतिमाह

टिप्पणी :

(क) कम से कम 750 मीटर ऊँचाई पर स्थित स्थान जो उससे अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों से घिरे हुए हों और जिन तक पहुंचने के लिए 1000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पार करनी पड़ती हो, पर तैनात अधिकारियों को 1000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले केंद्रों के लिए देय दर पर पर्वत तथा ईंधन भत्ता दिया जाएगा।

(ख) उक्त वर्गीकरण के अंतर्गत न आने वाले किसी भी केंद्र में फिलहाल दिए जाने वाले पर्वत और ईंधन भत्ते समाप्त कर दिए जाएंगे।

परंतु, जो अधिकारी 01 मई, 1989 के पूर्व ऐसे केंद्र पर तैनात था और उस तारीख के बाद भी उसी केंद्र पर तैनात रहता है उसे 30 अप्रैल, 1989 को मिल रहे भत्ते की प्रमात्रा संरक्षित की जाएगी और उसी वेतनमान में उस केंद्र में उसके तैनात रहने तक प्रतिमाह अदा की जाएगी।

8. विनियम 24 के लिए, उक्त विनियमों में, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

24. चिकित्सा सहायता : (1) हर अधिकारी को अपने व अपने परिवार हेतु उसके द्वारा किए गए वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित आधार पर की जाएगी: अर्थात्

(क) चिकित्सा व्यय:– दिनांक 01 फरवरी, 2004 और उसके बाद से प्रत्येक अधिकारी एवं उसका परिवार चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकारी द्वारा दिए गए स्वयं के प्रमाण-पत्र में उल्लेखित व्यय विवरणों कि उसने ऐसे व्यय किए है और दावा की गई राशि के खाते की विवरणी जैसा कि निम्न तालिका में उल्लिखित है, के अनुरूप की जाएगी :

IndiaCode

श्रेणी	वार्षिक प्रतिपूर्ति सीमा
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन श्रेणी	रु 3750 या वास्तविक व्यय, इनमें जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन और उच्च कार्यपालक श्रेणी	रु 5000 या वास्तविक व्यय, इनमें जो भी कम हो

टिप्पणी– (i) अधिकारी अनुपभोक्त चिकित्सा व्यय का संचयन कर सकता है जो उक्त अधिकतम रकम की तीन गुना रकम से अधिक न हो।

(ii) वर्ष 2004 के लिए चिकित्सा सहायता के अधीन चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति ग्यारह महीनों अर्थात् फरवरी, 2004 से दिसंबर, 2004 के लिए समानुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी।

स्पष्टीकरण : इस विनियम के उद्देश्य के लिए किसी अधिकारी के "परिवार" का अर्थ विनियम 3 के खंड (छ) में दिए गए परिभाषा के अनुसार होगा।

(ग) (i) जिन स्थितियों में अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो उन सभी मामलों में अधिकारी के लिए 100% और उसके परिवार के सदस्यों के लिए 75% तक चिकित्सालयवास के व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ii) 01 मई 2005 या उसके बाद से इस विनियम के अंतर्गत किसी अधिकारी के चिकित्सालय वास व्ययों की प्रतिपूर्ति कामगार कर्मचारियों के लिए द्विपक्षीय समझौता दिनांक 02 जून, 2005 के अंतर्गत दिए गए चिकित्सालयवास योजना के नियम एवं शर्तों के अनुसार होगा, बशर्ते वे नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित सीमा के अधीन हो:-

तालिका

(क) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I और मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II एवं III	(iii) बिस्तर शुल्क स्वयं – रु. 600/- प्रति दिन परिवार – रु. 450/- प्रति दिन (iv) अन्य प्रभार – कामगार कर्मचारियों को लागू चिकित्सालयवास योजना के अंतर्गत दी गई सीमा का 125% के मान पर
(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV एवं V और उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VI एवं VII	(iii) बिस्तर शुल्क स्वयं – रु. 800/- प्रति दिन परिवार – रु. 600/- प्रति दिन (iv) अन्य प्रभार – कामगार कर्मचारियों को लागू चिकित्सालयवास योजना के अंतर्गत दी गई सीमा का 150% के मान पर

(2) उपरोक्त उप-विनियम (1) में उल्लिखित चिकित्सा सुविधाओं (चिकित्सालयवास सहित) को इनके स्थानापन्न के रूप में नियत तिथि को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं (चिकित्सालयवास सहित) के अपरिवर्तित रूप में मंडल द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। तदनुसार मंडल द्वारा ऐसा निर्णय लिए जाने पर नियत तिथि को चिकित्सा सुविधाएं (चिकित्सालयवास इत्यादि सहित) प्रदान करने हेतु प्रचलित नियम व प्रावधानों के अधीन ही सभी अधिकारी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे।

(3) चिकित्सा व्यय तथा चिकित्सालयवास सुविधा उन अधिकारियों के संबंध में भी स्वीकार्य है जिन्हें निलंबनाधीन रखा गया है।

9. विनियम 25 के लिए, उक्त विनियमों में, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : -

'25' आवास व्यवस्था: – (1) अधिकारी बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए साधिकार हकदार नहीं होगा।

(2) किंतु, यदि बैंक चाहे तो वह अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी 01 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से, अपने वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 1.75% के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराये का, इनमें जो भी कम हो, भुगतान करेगा।

परंतु जहाँ ऐसे आवास पर फर्नीचर उपलब्ध कराया जाता है, वहां बैंक द्वारा अधिकारी से उसके वेतनमान, जिसमें वह रखा गया है, के प्रथम प्रक्रम के 0.4% के बराबर अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी।

परंतु, जहां बैंक द्वारा ऐसी आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है वहां बिजली, पानी, गैस और सफाई प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे।

10. विनियम 41 के, उक्त विनियमों में, उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : -

(1) 02 जून, 2005 को और उसके बाद से, कार्यवश यात्रा के दौरान कोई अधिकारी निम्नलिखित के लिए पात्र होंगे, अर्थात् : -

(i) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी में कार्यरत एक अधिकारी, रेल द्वारा प्रथम श्रेणी में या एसी 2-टीयर स्लीपर में यात्रा कर सकता है। तथापि, वह विमान द्वारा (किफायती दर्ज), यात्रा कर सकता है यदि सक्षम प्राधिकारी से कारोबार की आवश्यकता या लोक हित की दृष्टि से अनुमति दी जाती है।

(ii) मध्य प्रबंध श्रेणी में कार्यरत एक अधिकारी रेल द्वारा प्रथम श्रेणी में या एसी 2-टीयर स्लीपर में यात्रा कर सकता है। तथापि, वह विमान द्वारा (किफायती दर्जा), यात्रा कर सकता है, यदि यात्रा की जाने वाली दूरी 1000 कि.मी. से अधिक हो। तथापि, वह कम दूरी के संबंध में भी विमान द्वारा (किफायती दर्जा) यात्रा कर सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी से कारोबार की आवश्यकता या लोक हित की दृष्टि से यात्रा करने के लिए अनुमति दी जाती है।

(iii) वरिष्ठ प्रबंध या उच्च कार्यपालक श्रेणी में कार्यरत एक अधिकारी रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या विमान द्वारा (किफायती दर्जा) यात्रा कर सकता है।

(iv) वरिष्ठ प्रबंधन या उच्च कार्यपालक श्रेणी में कार्यरत अधिकारी, यदि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए रेल अथवा विमान उपलब्ध न हो तो कार द्वारा यात्रा कर सकता है, बशर्ते कि स्थानों के बीच की दूरी 500 कि.मी. से अधिक न हो। तथापि, दोनों स्थानों के बीच की अधिकांश दूरी को रेल, अथवा विमान द्वारा तय करना संभव होने पर केवल शेष दूरी की यात्रा, सामान्यतः कार द्वारा की जानी चाहिए।

(v) सक्षम प्राधिकारी कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी अधिकारी को निजी वाहन या टैक्सी या बैंक के वाहन द्वारा यात्रा करने के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है।

(ख) उप-विनियम (4) में, खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे :

(क) विराम भत्ता– कोई अधिकारी 01 जून, 2005 को और उसके बाद से नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रतिदिन विराम भत्ता पाने का हकदार होगा :

तालिका

अधिकारियों की श्रेणी/वेतनमान	**'ए' वर्ग के प्रमुख नगर**	**क्षेत्र I**	**अन्य स्थान**
1	2		
वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी	रु.600	रु.550	रु.500
वेतनमान I/II/III के अधिकारी	रु.550	रु.500	रु.400

परंतु वेतनमान IV और उनसे उच्च अधिकारियों के मामले में, चार महानगरों यानि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई में बाहरी कार्य के दौरान प्रतिदिन रु 700/- की दर से विराम भत्ता देय होगा।

परंतु यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटे से कम, किंतु 4 घंटे से अधिक है तो ऊपर बताई गई दरों की आधी दर से विराम भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण – विराम भत्ता की संगणना के लिए 'प्रतिदिन' का अभिप्राय है 24 घंटे की अवधि या उसके बाद का कोई भी भाग, जिसकी गणना विमान यात्रा के मामले में रिपोर्ट करने के समय तथा अन्य मामलों में प्रस्थान के लिए नियत समय से लेकर पहुंचने के वास्तविक समय तक की जाएगी। यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है तो ' प्रति डाइम ' से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जो 8 घंटे से कम न हो।

11. विनियम 42 के उक्त विनियमों में, उप-विनियम (3) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : -

(3) 01 अप्रैल, 1997 को और उस तारीख से स्थानांतरण पर जाने वाला कोई अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, यात्री सामान का बीमा आदि से जुड़े व्यय के लिए नीचे दी गई तालिका के अनुसार एकमुश्त राशि आहरित करने के लिए पात्र होगा :

तालिका

श्रेणी	एकमुश्त राशि
उच्च कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन	रु. 5000
मध्य प्रबंध और कनिष्ठ प्रबंधन	रु. 4,000

परंतु, 01 मई, 2005 को और उसके बाद से यह उप-विनियम के प्रावधान तभी लागू होंगे जब रु "5000" एवं रु "4000" के आंकड़ों को क्रमशः रु "8750" एवं रु "7000" से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

12. विनियम 44 के लिए, उक्त विनियमों में, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : -

44. अवकाश पर यात्रा रियायत:

(1) प्रत्येक चार वर्ष की अवधि में अधिकारी अपने अधिवास तक यात्रा के लिए अवकाश पर यात्रा रियायत का लाभ, प्रति द्विवार्षिक खंड में एक बार, प्राप्त कर सकता है। विकल्पतः दो वर्ष के एक ब्लॉक में वह अपने अधिवास को जा सकता है और दूसरे ब्लॉक में निकटतम मार्ग से भारत में किसी स्थान को जा सकता है।

(2) अधिकारी, चार वर्ष या दो वर्ष की अवधि में, जैसी भी स्थिति हो, के दौरान कभी भी अपने अवकाश यात्रा रियायत (अधिवास की यात्रा को छोड़कर) को समर्पण करके नकद भी ले सकते हैं जिसके अंतर्गत रेल द्वारा यात्रा की श्रेणी के लिए पात्र किराए के 75% की समतुल्य राशि प्राप्त करने की हकदार होंगे, इसमें जे.एम.जी.एस.I तथा एम.एम.जी.एस II एवं III के अधिकारियों के लिए पात्र दूरी 4500 कि.मी. (एकतरफा) है और एस.एम.जी.वेतनमान IV एवं उच्च अधिकारियों के लिए 5500 कि.मी. (एकतरफा) है। अपना अवकाश यात्रा रियायत भुनाने का विकल्प लेते समय अपना और अपने परिवार सदस्यों के लिए उस अवधि के दौरान एक ही बार दावा प्रस्तुत करें। अवकाश यात्रा रियायत की सुविधा भुनाते समय साधिकार छुट्टी को भी भुनाने की सुविधा मिलेगी।

(3) अवकाश यात्रा रियायत में अधिकारी उसी श्रेणी व साधन द्वारा यात्रा कर सकता है, जिसमें वह स्थानांतरण होने पर यात्रा करने के लिए पात्र है और अधिकारी को अवकाश यात्रा रियायत, बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी अन्य नियम व अनुबंधों के अधीन उपलब्ध किया जाना होगा।

(4) चार वर्ष में एक बार अधिकारी द्वारा अवकाश पर यात्रा रियायत का उपयोग करते समय उसे, अधिकतम एक समय पर एक माह के साधिकार अवकाश को अभ्यर्पित करते हुए नकदीकरण की अनुमति दी जा सकती है, विकल्पतः दो वर्ष के एक ब्लॉक में अपने अधिवास को जाते समय और दूसरे ब्लॉक में भारत में किसी भी जगह को जाते समय उसे प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम 15 दिनों की या एक ही ब्लॉक में 30 दिनों की साधिकार छुट्टी के नकदीकरण के लिए अनुमति दी जा सकती है। छुट्टी नकदीकरण के उद्देश्य के लिए, अवकाश पर यात्रा सुविधा आरंभ होने के महीने के दौरान देय सभी परिलब्धियां स्वीकार्य होंगी।

परंतु यदि एक अधिकारी अपने विकल्प पर प्रधानमंत्री की राहत निधि को दान करना चाहता है तो, उस एक दिन का अतिरिक्त साधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए अनुमति दी जाएगी जो अधिकारी द्वारा बैंक को इसके संबंध में पत्र देने तथा रकम प्रेषित करने के प्रति बैंक को प्राधिकृत किए जाने के अधीन होगा।

IndiaCode

"पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1982..... की अनुसूची

[विनियम 23 का उपविनियम (2) देखें]

अधिकारी, दिनांक 1 नवंबर, 2002 से विशेष क्षेत्रीय भत्ते, जो उसे वापस लेने तक या पूर्ण या पाक्षिक रूप से संशोधन करने के समय तक, के लिए पात्र होगा जो तालिका में निम्नवत् दर्शाया गया है, जैसे:-

तालिका

क्र. सं.	ऐसा स्थान जहाँ भत्ता देय होगा	देय भत्ते (रु.)	
		रु.10,000 से रु.14,000 के वेतन के लिए	रु.14,001 और उससे अधिक के वेतन के लिए
1.	मिज़ोरम	(रु.)	(रु.)
	(क) मिज़ोरम का चिंपतुईपुई जिला और मिज़ोरम के लुंगलाई जिले के लुंगलाई शहर से 25 किलोमीटर के बाद के क्षेत्र	1,000	1,300
	(ख) मिज़ोरम के लुंगलाई शहर से 25 किलोमीटर के बाद के क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण जिला लुंगलाई	800	1,050
	(ग) मिज़ोरम का संपूर्ण जिला आईज़ोल	600	750
2.	नागालैंड	800	1,050
3.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह		
	(क) दक्षिण अण्डमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	800	1,050
	(ख) उत्तर एवं मध्य अण्डमान, छोटा अण्डमान, निकोबार एवं नारकोंडम द्वीप समूह	1,000	1,300
4.	सिक्किम	1,000	1,300
5.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	1,000	1,300
6.	असम	160	200
7.	मेघालय	160	200
8.	त्रिपुरा		
	(क) त्रिपुरा के दुष्कर क्षेत्र	800	1,050
	(ख) दुष्कर क्षेत्रों को छोड़कर सारा त्रिपुरा	600	750
9.	मणिपुर	600	750
10.	अरुणाचल प्रदेश		
	(क) अरुणाचल प्रदेश के दुष्कर क्षेत्र	1,000	1,300
	(ख) दुष्कर क्षेत्रों को छोड़कर सारा अरुणाचल प्रदेश	800	1,050
11.	जम्मु और कश्मीर		
	(1) जिला कठुआ	1,000	1,300
	(क) नियाबत बानी		
	(ख) लोही		
	(ग) मलहार		
	(घ) मछोड़ी		
	(2) (क) जिला उधमपुर	1,000	1,300
	i. दुडु बसंतगढ़		
	ii. लांडर भामाग इलाका		
	iii. थक्रकोट		
	iv. नगोट		

IndiaCode

	(ख) 2 (ग) में सम्मिलित को छोड़कर मोहरे तहसील के सभी क्षेत्र	1,000	1,300
	(ग) मोहरे तहसील के कंबन पक्ष से गोयल तक के क्षेत्र तथा कियासी पक्ष से अर्नास तक के क्षेत्र।	800	1,050
	(3) जिला डोडा किश्तवार तहसील के नियाबत बोगाम तथा पद्देर के इलाके	1,000	1,300
	(4) जिला लेह	1,000	1,300
	जिले के सभी स्थान		
	(5) बारामुला जिला	1,000	1,300
	(क) संपूर्ण गुरेज-निराबत, तंगदर उप-मंडल तथा केरन इलाका		
	ख) माछिल	800	1,050
	(6) पूंछ तथा जिला रजौरी		
	पूंछ तथा रजौरी शहर और सुंदरबनी एवं दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर पूंछ तथा रजौरी जिले के क्षेत्र	600	750
	(7) उपर्युक्त (1) से (6) में शामिल नहीं किए गए क्षेत्र किंतु वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 कि.मी की दूरी में आनेवाले ऐसे स्थान जहाँ सीमा भत्ते के लिए राज्य सरकार द्वारा उनके कर्मचारियों को समय-समय पर पात्र घोषित किया गया है।	600	750
	हिमाचल प्रदेश		
	(1) चंबा जिला		
	1 (क) पंगी तहसील		
	1 (ख) भारमौर तहसील के निम्नलिखित गांव तथा पंचायत		
	(i) पंचायत : बडगांव, बजोल, दओल कुगटी, नयागाम तथा टुंडा		
	(ii) गांव : जगत ग्राम पंचायत का घाटु, चौहाता ग्राम पंचायत का कनारसी	1,000	1,300
	2. भरमौर तहसील, उपर्युक्त भाग 1 ख में शामिल गावों एवं पंचायतों को छोड़कर	800	1,050
	3. भटियाट तहसील का झंडु पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी टाउन (बनिखेत सहित)		
	(2) जिला किन्नौर :	600	750
	(क) आश्रंग, चिटकुल तथा हांगो कुनो/चरंग पंचायत, 15/20 क्षेत्र जिसमें छोटा खंबा, नथपा तथा रुपी के ग्राम पंचायत हैं, पूह सब-डिविजन, उक्त विनिर्दिष्ट पंचायत क्षेत्र को छोड़कर।	1000	1300
	(ख) उपर्युक्त (क) में शामिल क्षेत्र के अलावा संपूर्ण जिला	600	750
	(3) जिला कुल्लू :		
	3 (क) निर्मांद तहसील के 15/20 क्षेत्र जिसमें खर्गा, कुशवार तथा सर्गा ग्राम पंचायत शामिल हैं	1,000	1,300
	3 (ख) आउटर-सेराज (निर्मांद तहसील के बरौ तथा जकत-खाना के गावों को छोड़कर) तथा संपूर्ण जिला (पंड्रबिस के परगना तथा आउटर सेराज क्षेत्र को छोड़कर किंतु निर्मांद तहसील के बरौ एवं जगत-खाना गांव को शामिल कर)	600	750
	(4) लाहौल तथा जिला स्पिति :	1,000	1,300
	लाहौल तथा स्पिति के संपूर्ण क्षेत्र		
	(5) जिला शिमला :		

IndiaCode

	(क) रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लबाना सदाना, सरपारा तथा चडी-ब्रांदा की पंचायतें शामिल हैं।	1000	1300
	(ख) दोड्रा-कावर तहसील, रामपुर का दरकली ग्राम पंचायत, काशापथ तहसील तथा मुनिश, परगना सराहान का घोरी चाइबिस	800	1050
	(ग) चोपल तहसील तथा घोरिस, पंजगांव, पाटस्नौ, नौबिस तथा सरहन परगना का तीन कोटी, तकलेश क्षेत्र का द्योती ग्राम पंचायत, परगना बराबिस, रामपुर कस्बा तथा रामपुर तहसील के परगना रामपुर का घोरी नोग, शिमला शहर तथा उसके उपनगर (धाली, जटोग, कसुमपती, मशोब्रा, तारादेवी एवं टुटु)	600	750
	(6) जिला कांगड़ा :		
	(क) बड़ा भंगल तथा छोटा भंगल के क्षेत्र	800	1,050
	(ख) कांगड़ा जिले का धर्मशाला शहर तथा धर्मशाला शहर में शामिल किंतु नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय – महिला आईटीआई, दारी, मेकनिकल वर्कशोप, रामनगर, बाल कल्याण तथा शहर एवं देश आयोजना कार्यालय, सकोह, लोवर सकोह का सी.आर.एस.एफ. कार्यालय, कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुगियार, एच.आर.टी.सी. वर्कशोप, सधेर, मंडल मलेरिया कार्यालय, दारी, वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फैक्टरी, दारी, आईपीएच सब-डिविजन, दान, निपटान कार्यालय, शामनगर, बिनवा परियोजना, शामनगर, कार्यालय/जर्सी फार्म, बनूरी, सेरिकल्चर कार्यालय/इंडो-जर्मन एग्रिकल्चर वर्कशोप/एच.पी.पी.डब्ल्यु.डी. डिविजन, बुंदला, इलेक्ट्रिकल सब-डिविजन, लोहना, डीपीओ निगम, बुंदला, इलेक्ट्रिकल एच.पी.एस.ई.ई. डिविजन, घुग्गर	600	750
	(7) जिला मंडी :		
	जोगिंदर नगर तहसील का छुहर घाटी, थुनाग के पंचायत बागड़ा, छत्री, छोटधार, गरगुशैन, गटू, गर्यास, जंजेली, जर्यार, जोहर, कलहनी, कल्वान, खोलनाल, लोथ, सिलिबागी, सोमचान, थछधार, ताची, थाना के तहसील, धरमपुर ब्लॉक के पंचायत – बिंगा, कामला, सकलाना, तन्यार तथा ताराखोला, कर्सोग तहसील के पंचायत – बलिधार, बागड़ा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहूदी, मंज, पेखी, सैंज, साराहन, तेबान, सुंदरनगर तहसील के पंचायत – बोही, बटवारा, धन्यारा, पौड़ा-कोठी, सेरी, शोजा।	600	750
	(8) जिला सिरमौर :	600	750
	(क) बनी, बखाली (पाछड़ तहसील), भड़ोग, भेनेड़ी (पौंटा तहसील), बिड़ला (नाहन तहसील), डिब्बड़ (पाछड़ तहसील) और थाना कसोगा (नाहन तहसील) के पंचायत		
	(ख) थानस्गिरी ट्रैक्ट	600	750
	(9) जिला सोलन :		
	मंगल पंचायत		
	(10) हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपर्युक्त (1) से (9) में शामिल नहीं है	160	200

13	उत्तर प्रदेश : चमोली, पिथौड़ागढ़ और उत्तरकाशी जिलों के क्षेत्र 2(क) पिथौड़ागढ़ और उत्तरकाशी जिलों के अन्य क्षेत्र (उत्तरकाशी का जिला मुख्यालय शामिल) 2(ख) चंपावत जिला (लोहाघाट का क्षेत्र शामिल)	1000	1300
14	उत्तरांचल : रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों के क्षेत्र	800	1,050

विवरणात्मक ज्ञापन

इस संबंध में संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशिष्ट अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों के लिए भारतीय बैंक संघ तथा बैंकों की शीर्ष अधिकारियों की यूनियनों के मध्य में हस्ताक्षरित संयुक्त नोट में स्वीकार किए गए नियम एवं शर्तों के अनुसार अधिनियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है। इसलिए, किसी भी व्यक्ति के हित ऐसे पूर्वव्यापी प्रभाव द्वारा गलत ढ़ंग से प्रभावित नही होंगे।

डी.एस.ग्रोवर, उप महाप्रबंधक

[विज्ञापन -III/4/असा./341/17]

नोट: भारत के राजपत्र में निम्न अधिसूचनाओं के माध्यम तत्पश्चात् अधिनियम संशोधित किए गए थे, अर्थात् :-

S.No.	NOTIFICATION No.	DATED	PUBLICATION DATE	AMENDMENT IN REGULATION No.
1	No.PSB/STAFF/OSR/1990	18.04.1990		2
2	No.PSB/STAFF/OSR/1991	03.05.1991	08.05.1991	21, 22, 24, 33, 41
3	No. PSB/STAFF/OSR/1992	19.05.1992	21.05.1992	23, 41, 44
4	No. PSB/STAFF/OSR/1995	15.02.1995	21.02.1995	19
5	No.PSB/STAFF/OSR/1996	08.10.1996	09.10.1996	4,5,21,22,23,24, 25,41,45,46
6	No.PSB/STAFF/OSR/1997	13.01.1997	27.01.1997	19
7	No.PSB/STAFF/OSR/1999	23.06.1999	24.07.1999	38
8	No.PSB/STAFF/OSR/2000	28.06.2000	07.07.2000	19
9	No.PSB/STAFF/OSR/2000	20.07.2000	12.08.2000	12,23,32,42
10	No.PSB/STAFF/OSR/2002	28.10.2002	06.11.2002	4,5,21,22,23,24,25,35,36,41,42,46
11	No.PSB/STAFF/OSR/2003	13.06.2003	28.06.2003	38
12	No.PSB/STAFF/OSR/2006	7.10.2006	20.10.2006	5

PUNJAB AND SIND BAND

NOTIFICATION

New Delhi, 11th October, 2017

No.PSB/STAFF/OSR/2017-A.—In exercise of the powers conferred by Section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of the **Punjab & Sind Bank** in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the **Punjab & Sind Bank** (Officers') Service Regulations, 1982, namely:-

1. (1) These Regulations may be called the **Punjab & Sind Bank (**Officers') Service (Amendment) Regulations, 2010.

(2) They shall come into force with effect from the 2nd day of June, 2005, except wherever stated otherwise in the respective regulations.

2. In **Punjab & Sind Bank** (Officers') Service Regulations, 1982 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulations 3,-

(i) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely,

'(g) "Family" means the spouse of the officer (who is not an employee of the Bank), wholly dependent

unmarried children (including dependent step and legally adopted children) and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer';

(ii) for clause (o), the following clause shall be substituted, namely:-

'(o) "Wholly dependent children or parents" mean children or parents having an income not exceeding Rs.2,550 per month'

Note: 'If the income of one of the parents exceeds Rs.2,550 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs.2,550 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the employee;'

3. In the said regulations, in regulation 4 for sub-regulation (4), the following sub- regulations shall be substituted, namely:-

(4) On and from the 1st day of November, 2002, the scales of pay specified against each grade shall be as under:

(b) Top Executive Grade

Scale VII = Rs.29340-$\frac{680}{2}$/-30$\frac{700}{1}$-$\frac{900}{1}$-31600-$\frac{1000}{1}$-32600

Scale VI = Rs.26620 – $\frac{680}{4}$ - 29340

(b) Senior Management Grade

Scale V = Rs.24140 - $\frac{620}{4}$ – 26620

Scale IV = Rs.20480 - $\frac{560}{1}$ – 21040 – $\frac{620}{5}$ - 24140

(c) Middle Management Grade

Scale III = Rs.18240 - $\frac{560}{5}$ – 21040 - $\frac{620}{2}$ – 22280

Scale II = Rs.13820 - $\frac{500}{1}$ – 14320 - $\frac{560}{10}$ - 19920

(d) Junior Management Grade

Scale I = Rs.10000 - $\frac{470}{6}$ – 12820 - $\frac{500}{3}$ – 14320 - $\frac{560}{7}$ – 18240.

Note: Every officer who is governed by the scales of pay in force as on the 31st October, 2002 shall be fitted in the scale of pay set out in this sub-regulation as on 1st November, 2002 on stage to stage basis i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

(4A) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3) and (4) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.'

4. In the said regulations, for regulation 5, the following regulation shall be substituted, namely:-

'5. Increments, -

(1) Subject to the provisions of sub- regulation (4) of regulation 4, on and from the 1st day of November, 2002, the increments shall be granted subject to the following conditions, namely:-

(a) The increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (4) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;

(b) Officers in Scale I and Scale II, one year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government;

IndiaCode

(c) Officers including those referred to in clause (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scale II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III, as the case may be, subject to a maximum of two such increment of Rs.560 each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs.620 for officers in the last stage of scale III;

Provided that on and from the 1st day of November, 1994 the officers in substantive Scale III i.e. those who are recruited in or promoted to Scale III shall be eligible for second stagnation increment three years after having received the first stagnation increment;

Provided further that such increment/s in the next higher scale/stagnation increment/s shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Note: Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or scale II as the case may be.

(2) An additional increment each shall be granted in the scale of pay for passing Part I or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers/Junior Associate of Indian Institute of Banking and Finance and Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination.

Explanation: (a) in case of an officer who has passed Part I or part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination. As an officer before the appointed date, the additional increment, or increments as the case may be, shall be given effect to from the appointed date provided that he has not received any increment or received only one increment, for passing both parts of the said Examination.

(b) on and from 1st day of November, 1987, officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments as specified in the Table below:

TABLE

Those who have passed only Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers.	(i) Rs.100 per month after one year of which Rs.75 shall rank for superannuation benefits.
Those who have passed both Parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.100 per month after one year, of which Rs.75 shall rank for superannuation benefits.
	(ii) Rs.250 per month after two years of which Rs.200 shall rank for superannuation benefits.

(c) on and from 1st November, 1994, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Allowance shall stand revised as specified in the table below:-

TABLE

Those who have passed only Part I of certified Associate of Indian Institute of Bankers.	(i) Rs.120 per month after one year on reaching top of the scale.
Those who have passed both Parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.120 per month after one year on reaching top of the scale. (ii) Rs.300 per month after two years on reaching top of the scale.

Provided that officers who are eligible to draw Fixed Personal Allowance in terms of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 5, shall draw Professional Qualification Allowance one year/ two years after receipt of such Fixed Personnel Allowance respectively for Part I and part II as the case may be.

(d) on and from the 1st of November, 1999, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below:-

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Part I of Certified Associate of Indian Institute if Bankers.	(i) Rs.150 per month after one year on reaching top of the scale.
Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers and Certified Associate of Indian Institute of Bankers or both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers:	(i) Rs.150 per month after one year on reaching top of the scale. (ii) Rs.360 per month after two years on reaching maximum of the scale.

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as in clause (b) of sub-regulation (1) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales.

(e) on and from the 1st day of November, 2002, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below: -

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers.	(i) Rs.300 per month after one year on reaching top of the scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers or both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers:	(i) Rs.300 per month after one year on reaching top of the scale. (ii) Rs.750 per month after two years on reaching top of the scale.

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as specified in clause (b) of sub-regulation (1) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales.

Note : (i) if a officer who is in receipt of Professional Qualification Pay is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment in such higher scale, additional increment(s) for passing Junior Associate of Indian Institute of Bankers Certified Associate of Indian Institute of bankers to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Pay in lieu of increment(s).

(ii) on and from the 1st day of November, 1994, Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay, as the case may be, shall rank for Dearness Allowance, House Rent Allowance and superannuation benefits.

(iii) An officer shall not be eligible for Professional Qualification Pay as above if he refuses to accept promotion when offered.

(iv) If an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate or Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the day of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay.

(v) if an officer, as on the 2nd day of June, 2005 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification/s, he shall be, with effect from the 1st day of November, 2002 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later, released Professional Qualification Pay as provided herein above.

(3) (a) all officers who are in the bank's permanent service as on the 1st day of November, 1993 shall get one advance increment in the scale of pay and officers who are on probation on the 1st day of November 1993 will get one advance increment one year after the confirmation.

Note: There shall be no change in the date of annual increment because of advance increment.

(b) an officer is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment(s) as on 1st day of

November, 1993 will draw a Fixed Personal Allowance from the 1st day of November, 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus dearness allowance payable thereon as on 1st day of November, 1993, plus House Rent Allowance at such rates as applicable in terms of regulation 22 and the Fixed Personal allowance together with House Rent Allowance, if any, as specified in the table below shall remain valid till further revised: -

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 01.11.1993 on the increment components	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided
(A)	**(B)**	**(C)**
Rs.	**Rs.**	**Rs.**
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

(c) on and from the 1st day of November, 1999 other things being equal, the Fixed Personnel Pay with House Rent Allowance, if any, shall be as specified in the table below:-

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 01.11.1997 on the increment components	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided
(A)	**(B)**	**(C)**
Rs.	**Rs.**	**Rs.**
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

(d) on and from the 1st day of November 2004, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance, if any, shall be as specified in the table below and shall remain frozen for the entire period of service: -

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 01.11.2002 on the increment components	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided
(A)	**(B)**	**(C)**
Rs.	**Rs.**	**Rs.**
560	23	583
620	25	645
680	28	708
1000	41	1041

IndiaCode

Note: (i) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as indicated under Column (C) of the tables in clause (b), (c) and (d) of sub-regulation (3) of regulation 5 shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be (A)+(B)-House Rent Allowance as indicated in clause (b), (c) and (d) of sub-regulation (3) of regulation 5 drawn by the concerned officer on the increment component of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2) and (3) of regulation 4 is earned.

(iii) on and from the 1st day of November, 1999 there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in Explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:-

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after to 1st day of November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released on the 1st day of November, 2000.

(iv) the increment component of Fixed Personal Allowance/Fixed personal Pay shall rank for superannuation benefits.

(e) an officer who has earned the advance increment as specified in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c) or (d) above, one year after reaching the maximum of the scale.'

5. In the said regulations, in regulation 21, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

'(4) On and from the 1st day of November, 2002, Dearness Allowance Scheme shall be as under:

(a) dearness allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960 = 100.

(b) during the period from the 1st day of November, 2002 to 31st day of January, 2005, dearness allowance shall be payable as per the following rates:-

(i) 0.18% of 'pay' up to Rs.9,650 plus

(ii) 0.15% of 'pay' above Rs.9,650 and upto Rs.15,350 plus

(iii) 0.09% of 'pay' above Rs.15,350 and Rs.16,350 plus

(iv) 0.04% of 'pay' above Rs.16,350

(c) on and from the 1st day of February, 2005, dearness allowance shall be payable at 0.18% of pay.

Note: (A) "Pay," for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments.

(B) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d) and (e) to sub-regulation 2 of regulation 5 shall rank for dearness allowance.'

6. In the said regulation, for regulation 22, the following regulation shall be substituted, namely:-

'22'. House Rent Allowance-

(1) (a) on and from the 1st day of November, 1999 where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 2.5% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible on and from the 1st day November, 1999 the House Rent Allowance as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major "A" Class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government and Project Area Centres in Group 'A'.	9% of the pay per month.
(ii) Places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'.	8% of the pay per month.
(iii) Area II i.e. all places not covered by (i) and (ii) above	7% of the pay per month.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 2.5% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above table, whichever is lower.

(2) (a) On and from the 1st day of November, 2002, where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, which ever is less, will be recovered from him.

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible on and from the 1st day of November, 2002 the House Rent Allowance as specified in the table below, namely:-

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major "A" Class Cities and Project Area Centres in group A	8.5% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii) Other places	6.5% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him/her shall be the actual rent paid by him/her for the residential accommodation in excess over 1.75% of pay in the first stage of the scale in which he/she is placed with maximum of 150% of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above table.

(3) Where an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to clause (b) of sub-regulation (1) and clause (b) of sub-regulation (2) as if he was paying by way of monthly rent a sum equal to one twelfth of the higher of (A) or (B) below:-

The aggregate of: -

(i) Municipal taxes in respect of the accommodation; and

(ii) 12% of the capital cost of the accommodation including the cost of the land and if the accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air conditioners; or

(B)

The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation

Explanation:

(1) For the purpose of this regulation "standard rent" means: -

(a) in the case of any accommodation owned by the Bank, "the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government:

(b) where accommodation has been hired by the bank, contractual rent payable by the bank or rent calculated in accordance with the procedure specified in (A) above, whichever is lower.

(2) "Pay for the purpose of House Rent Allowance shall mean basic pay including stagnation increments.

(3) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as the case may be, shall rank for House Rent Allowance with effect from the 1st day of November, 1994.

(4) For the purpose of sub-regulations (1) and (2) of this regulation and regulation 23, Area I and Area II shall mean as under: -

Area I - Places with a population of more than 12 Lakhs

Area II - All places not included in Area-I

7. In the said regulations, for regulation 23, the following regulation shall be substituted, namely: -

'23. Other Allowances:

(1) On and from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the City Compensatory Allowance as specified in the table below, namely,

TABLE

Places	Rates
(1)	(2)
(a) Places in Area I and in the State of Goa	4% of basic pay subject to a maximum of Rs.540 per month.
(b) Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above	3% of basic pay subject to a maximum of Rs.375 per month.
(c) Other places	Nil

(2) On and from the 1st day of November, 2002, the rates of special area allowance shall be as specified in the Schedule to these regulations.

(3) On and from the 1st day of November, 2002, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling under Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.210 per month or Rs.185 per month according to the classification of area as Group A or Group B.

(4) On and from the 1st day of January, 2004, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance at the rate of Rs.500 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children studying.

Provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1st day of June, 2005, if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75% of pay subject to a maximum Rs.1500 per month and such other allowance he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organization which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4% of his pay subject to a maximum Rs.750 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4% of his pay subject to a maximum Rs.750 per month.

(6) If an officer is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than seven days at a time or an aggregate of seven days during the calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay, pro-rata for the period for which he officiates and officiating allowance will rank as pay for the purposes of Provident Fund and pension only:

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorization of posts under regulation 6, he shall not be eligible for the officiating allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorization takes effect.

(7) If an officer is posted at a branch where books are closed in 1st of April and 30th September, a closing allowance of Rs.250 for each of the two closings.

(8) On and from the 1st day of November, 2002, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.125 per month.

(9) If an officer is required to work as custodian of a vault or locker on a holiday, he shall be eligible for a Diem Allowance at the rate to which he is entitled.

(10) On and from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the hill and fuel allowance as specified in the table below, namely: -

TABLE

Place (1)	Rate (2)
(i) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.1150 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2.5% of pay subject to a maximum of Rs.500 per month
(iii) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.400 per month”;

IndiaCode

Note: (a) officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more, shall be paid hill and fuel allowance at the same rate as is payable at centres with an altitude of 1000 metres and above.

(b) Hill and Fuel Allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn;

Provided that in respect of an officer who has posted in such a centre prior to 1st day of May, 1989 and remains posted at that centre even after that date, the quantum of allowance which he was drawing as on the 30th day of April, 1989 shall be protected and paid to him every month till the time he remains posted at that centre in the same scale of pay’.

8. In the said regulations, for regulation 24, the following regulation shall be substituted, namely:-

‘24. Medical Aid: - (1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis, namely: -

(a) Medical Expenses: - On and from the 1st day of February, 2004 an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer’s own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely: -

Grade	Maximum limit of reimbursement
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.3750 or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.5000 or the amount incurred whichever is less

Note (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

(ii) for the year 2004 the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for eleven months i.e. from February 2004 to December 2004.

Explanation: - "Family" of an officer for the purpose of this regulation shall mean the family as defined in clause (g) of regulation 3.

(b) (i) Hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100% in the case of an officer and 75% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization.

(iii) On and from the 1st day of May, 2005, reimbursement of hospitalization expenses to an officer under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme laid down under the Bipartite Settlement dated the 2nd day of June, 2005 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely: -

TABLE

(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III.	(i) Bed Charges Self - Rs. 600 per day Family - Rs. 450 per day (ii) Other charges At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.
(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII	(i) Bed Charges Self - Rs. 800 per day Family - Rs. 600 per day (ii) Other charges At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.

(2)Medical Aid and Hospitalisation facilities shall also be admissible to the officers who are placed under suspension.'

9. In the said regulations, for regulation 25, the following regulation shall be substituted, namely:-

'25' Residential accommodation: - (1) No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank.

(2) it shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November 2002, a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.4% of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, will be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation id provided by the bank, the charges for the electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer'.

10. In the said regulations, in regulation 41, - for sub-regulation (1), the following sub- regulation shall be substituted, namely:-

(1) on and from the 2nd day of June, 2005, an officer shall be eligible for the following while traveling on duty, namely: -

(i) an officer in Junior Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2-tier Sleeper by train. He may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(ii) an officer in Middle Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2-tier Sleeper by train or he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 1000 kms. Or for a shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(iii) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st class by rain or by air (economy class).

(iv) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between two places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 km and when a major part of the distance between the two places should normally be covered by car.

(v) Any other officer may be authorized by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle.

(b) in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: -

(a) Halting Allowance – on and from the 1st day of June, 2005 an officer shall be entitled to 'per diem Halting Allowance as specified in the table below, namely: -

Grades/Scales of officers	**Major 'A' Class Cities**	**Area I**	**Other Places**
1	2		
Officers in Scale IV and above	Rs.600	Rs.550	Rs.500
Officers in Scale I/II/III	550	500	400

Provided that in the case of officers in scale IV and above, halting allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz. Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs.700;

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation: For the purpose of computing Halting Allowance 'per diem' shall mean each period of twenty four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the schedule time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty four hours 'per diem' shall mean a period of not less than eight hours.'

11. In the said regulations, in regulation 42, for sub-regulation (3) the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

'(3) On and from the 1st day of April, 1997, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc. as specified in the table below, namely: -

TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs.5000
Middle Management and Junior Management	Rs.4000

Provided that on and from the first day of May, 2005 the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures "Rs.5000" and "Rs.4000", the letters, words and figures "Rs.8750" and "Rs.7000" had been respectively substituted.'

IndiaCode

12. In the said regulations, for regulation 44, the following regulation shall be substituted, namely: -

'44. Leave Travel Concession:

(1) During each block of four years, an officer shall be eligible for leave travel concession for travel to his home town once in each block of two years, or; alternatively, he may travel in one block of two years to his home town and another block of two years to any place in India by the shortest route.

(2) An officer, by exercising an option at any time during a block of four years or two years, as the case may be, may also surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to home town) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to 75% of the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled upto a distance of 4500kms. (one way) for officers in JMG Scale I and MMG Scale II & III and 5500 kms (one way) for officers in SMG Scale IV and above and while opting to encash his Leave Travel Concession shall prefer the claim for himself or herself and his or her family members only once during the block or term in which such encashment is availed off and the facility of encashment of privilege leave Travel Concession shall also be available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

(3) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the leave Travel Concession may be availed of by an officer shall be as decided by the Board from time-to-time.

(4) Once in every four years when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his Privilege Leave not exceeding thirty days at a time, or, he may whilst traveling in one block of two years to his home town and in other block to any place in India, be permitted encashment of Privilege leave with a maximum of fifteen days in each block or thirty days in one block and for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the Leave Travel Concession is availed, shall be admissible.:

Provided that an officer at his option shall be permitted to encash one day's additional privilege leave for donation to the Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorizing the Bank to remit the amount to the Fund.'

"Schedule to (Officers') Service Regulations, 1982

(See sub-regulation (2) of regulation 23)

With effect from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Serial No.	Places where the allowance is payable	Allowance (Rs.)	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14000/-	Pay from Rs.14,001/- and above
1	Mizoram (a) Chimptuipui District of Mizoram and areas beyond 25 kms from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram. (b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms, from Lunglei town of Mizoram. (c) Throughout Aizawl District of Mizoram	(Rs) 1,000 800 600	(Rs) 1,300 1,050 750
2	Nagaland	800	1,050
3.	Andaman and Nicobar Islands (a) South Andaman (including Port Blair) (b) North and Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	 800 1,000	 1,050 1,300
4.	Sikkim	1,000	1,300
5.	Lakshadweep Islands	1,000	1,300
6.	Assam	160	200

7.	Meghakaya	160	200
8.	Tripura (a) Difficult areas of Tripura (b) Throughout Tripura except difficult areas.	 800 600	 1,050 750
Serial no.	**Places where the allowance is payable**	**Allowance (Rs.)**	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14000/-	**Pay from Rs.10,000 to Rs.14000/-**
9	Manipur	(Rs) 600	(Rs) 750
10.	Arunachal Pradesh (a) Difficult areas of Arunachal Pradesh (b) Throughout of Arunachal Pradesh other than difficult areas.	 1000 800	 1,300 1,050
11.	Jammu and Kashmir (1) Kathua District: (a) Niabat Bani (b) Lohi (c) Malhar (d) Machhodi	 1,000	 1,300
	(2) (a) Udhampur District: (i) Dudu Basantgarh (ii) Lander Bhamag Illaqa (iii) Thakrakote (iv) Nagote (b) All areas in Mohre Tehsil other than those included in 2(c). (c) Areas upto Goel from Kamban Side and Areas upto Arnas from Keasi in Tehsil Mohre.	1,000 1,000 800	1,300 1,300 1,050
	3) Doda Diistrict: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kistwar Tehsil.	 1000	 1300
	(4) Leh District: All places in the District 5) Baramulla District (a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and keran Illaaqua	1000 1,000	1300 1,300
	(b) Matchill (6) Poonch and Rajouri District: Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	800 600	1,050 750

IndiaCode

	(7) Areas not included in items (1) to (6) above, but which are within distance of 8kms. From the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time to time by the State Government for their own staff.	600	750
12.	Himachal Pradesh		
	(1) Chamba District		
	1(a) Pangi Tehsil	1,000	1,300
	1(b) Following Panchayat and Villages of Bharmour Tehsil	800	1,050
	(i) Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah.		
	(ii) Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi or Gram Panchayat Chauhata		
	2. Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in Part 1.b above.		
	3. Jhandru panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	600	750
	(2) Kinnaur District:		
	a) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/Charang Panchayats, 15/20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.	1,000	1,300
	b) Entire District other than areas included in (a) above.	600	750
	(3) Kullu District:		
	(a) 15/20 area Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	1,000	1,300
	(b) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District (excluding outer Seraj area and Pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	600	750
	(4) Lahaul and Spiti District:		
	Entire area of Lahaul and Spiti	1,000	1,300
	(5) Shimla District:		
	(a) 15/20 Area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	1,000	1,300
	(b) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, ghori Chaibis of Pargana Sarahan.	800	1,050
	(c) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	600	750
	(6) Kangra District:		
	(a) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal	800	1,050
	(b) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in		

	Dharamshala Town-Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar. Palampur Town of Kangra District including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. Krishi Vishwavidhalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.	600	750
	(7) Mandi District: Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thuang tehsil of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, gatoo, Garyas, jhanjehli, Jaryar, Johar, kalhani, kalwan, kholnal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of dharampur Block- binga, Kamlah, saklana, tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, gopalpur, Khajol, Mahog, mehndi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and teban, Panchayats of Sudernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, paura-Kothi, Seri and Shoja.	600	750
	(8) Sirmaur district: (a) Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), Bharog Bheneri (Paonta Tehsil), Birla (NAhan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) (c) Thansgiri Tracty	600	750
	(9) Solan District : Mangal Panchayat	600	750
	(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above.	160	200
13.	**Uttar Pradesh:** Areas under Chamoli, Pithoragarh and uttar Kashi Districts: 2(a) Other area of District Pithoragarh and Uttarkashi (including District Headquarters of Uttarkashi) 2(b) Champawat District (including area of Lohaghat).	1,000	1,300
14.	**Uttaranchal:** Areas under Rudraprayag and Champavat Districts.	800	1,050

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

D. S. GROVER, Dy. General Manager

[ADVT-III/4/Exty./341/17]

Note: the principal regulations were amended and notified in the the Gazette of India vide following notifications, namely:—

S.No.	NOTIFICATION NO	DATED	PUBLICATION DATE	AMENDMENT IN REGULATION No.
1	No. PSB/STAFF/OSR/1990	18.04.1990		2
2	No. PSB/STAFF/OSR/1991	03.05.1991	08.05.1991	21, 22, 24, 33, 41
3	No. PSB/STAFF/OSR/1992	19.05.1992	21.05.1992	23, 41, 44
4	No. PSB/STAFF/OSR/1995	15.02.1995	21.02.1995	19
5	No. PSB/STAFF/OSR/1996	08.10.1996	09.10.1996	4,5,21,22,23,24, 25,41,45,46
6	No. PSB/STAFF/OSR/1997	13.01.1997	27.01.1997	19
7	No. PSB/STAFF/OSR/1999	23.06.1999	24.07.1999	38
8	No. PSB/STAFF/OSR/2000	28.06.2000	07.07.2000	19
9	No. PSB/STAFF/OSR/2000	20.07.2000	12.08.2000	12,23,32,42
10	No. PSB/STAFF/OSR/2002	28.10.2002	06.11.2002	4,5,21,22,23,24,25,35,36,41,42,46
11	No. PSB/STAFF/OSR/2003	13.06.2003	28.06.2003	38
12	No. PSB/STAFF/OSR/2006	7.10.2006	20.10.2006	5

IndiaCode

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.12.28 19:32:29 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.